तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

21. श्री अनिल झा: क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा किराडी विधान सभा क्षेत्र की किन-किन कॉलोनियों में कार्य किए जा रहे हैं,

(ख) ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्वीकृत योजना व विधायक निधि फंड के कितने कार्य चल रहे हैं, किन-किन एजेंसी को कार्य दिया गया है, पिछले 4 वर्षों में एजेंसियों को कितना भुगतान किया गया है, इसका विवरण क्या है।

(ग) बाढ नियंत्रण विभाग द्वारा भविष्य में कितनी अनाधिकृत कॉलोनियों में विकास कार्य करने की योजना है, और

(घ) बाढ नियंत्रण विभाग द्वारा भविष्य में कितने तालाबों का विकास कार्य कर दिया जाएगा?

स्वास्थ्य मंत्री जी:

(क) सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण विभाग द्वारा किराडी विधानसभा क्षेत्र में जिन कॉलोनियों में कार्य किए जा रहे है, उनका विवरण सूची पुस्तकालय में उपलब्ध है। में दर्शाया गया है

(ख) सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण विभाग द्वारा ग्रामीण विकास विभाग से स्वीकृत 08 कार्य चल रहे हैं तथा विधायक निधि फंड के 13 कार्य प्रगति पर है तथा 03 की निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी है। सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण विभाग द्वारा पिछले

4 वर्षों में ग्रामीण विकास विभाग से स्वीकृति तथा विधायक निधि फंड से कराये गए कार्यों का ब्यौरा एवं एजेंसियों को भुगतान की गई राशि का ब्यौरा सूची पुस्तकालय मे उपलब्ध है।

(ग) सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण विभाग द्वारा भविष्य में 88 कॉलोनियों में कार्य कराया जाना है, जिनमें से 25 कॉलोनियों के रु. 3565.62 लाख के प्राक्कलन तैयार किये जा चुके हैं। शेष कॉलोनियों के प्राक्कलन तैयार किए जा रहे है। इन सभी कॉलोनियों की सक्षम अधिकारी द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के बाद कार्य किए जाएगें। जिन कॉलोनियों में कार्य कराया जाना है। उनका ब्यौरा सूची ग में संलग्न है। पुस्तकालय में उपलब्ध है

(घ) सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण विभाग द्वारा भविष्य में 22 तालाबों का विकास कार्य करने का लक्ष्य है।

22. श्री एस.पी.रातावाल: क्या ऊर्जा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या खादय एवं संभरण विभाग द्वारा दिल्ली में कोई ऐसी योजना बनाई जा रही है जिसके तहत प्रत्येक आधार कार्डधारी को गैस सिलैंडर का कनेक्शन मिल सके; और

(ख) सरकार द्वारा आज तक किन-किन श्रेणियों के, कितने-कितने लोगों को गैस कनेक्शन मुफ्त कराया गया?

ऊर्जा मंत्री जी:

(क) जी नहीं।

(ख) दिनांक 04.12.2012 तक कुल 1619 बीपीएल/एएवाई/जेआरसी कार्डधारियों को

गैस कनेक्शन जारी किए गए हैं।

23. श्री प्रहलाद सिंह साहनी: क्या ऊर्जा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि विभाग द्वारा काफी संख्या में नए ए.पी.एल. राशनकार्ड जारी किए गए हैं लेकिन उन पर राशन लेने हेतु मोहर नहीं लगाई गई; और

(ख) यदि हां, तो इन कार्डो पर राशन दफ्तर द्वारा कब तक मोहर लगाई जाएगी;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है

(घ) झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों को कब तक नए राशन कार्ड जारी कर दिए जाएंगे; और

(ड़) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ऊर्जा मंत्री जी:

(क) जी हां, 16 अप्रैल 2008 से जारी किए जा रहे ए.पी.एल. राशनकार्डो पर राशन लेने हेतु मोहर नहीं लगाई जा रही है।

(ख) मामला विचाराधीन है।

(ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

(घ एवं ड) झुग्गी-झौपड़ी में रहने वाले लोगों के राशन कार्ड ए.पी.एल. (जे.आर.सी), कैबिनेट निर्णय के द्वारा 2007 में बनाए गए थे। यह योजना एक सीमित समय के लिए किए चलाई गई थी। फिलहाल ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

24. श्री जयभगवान अग्रवाल: क्या मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) में मई-जून 2012 के दौरान की गई शिक्षकों की नियुक्तियों में गंभीर अनियमिताएं पाई गई हैं, इसका पूर्ण विवरण क्या है;

(ख) क्या इन पदों के लिए दिल्ली सरकार के वित्त विभाग से अनुमति ली गई थी;

(ग) क्या इन नियुक्तियों के संदर्भ में तकनीकी शिक्षा सचिव एवं प्रधान सचिव (वित्त) के निर्देशों का पालन किया गया है; और

(घ) क्या उपरोक्त मामले में गठित जांच समिति ने जांच प्रारंभ भी कर दी है?

मुख्य मंत्री जी:

(क) इस संबंध में विभाग को शिकायते प्राप्त हुई थीं तथा विभाग ने शिकायतों की प्रारंभिक जांच के बाद डीटीयू एक्ट के सेक्शन 11(4) के तहत विस्तृत जांच के लिए कुलपति को कारण बताओ नोटिस जारी किया इस नोटिस का जवाब प्राप्त हो गया है जो कि Chairman Board of Management. DTU को कमेंट के लिए भेजा गया है। कमेंट मिलने के पश्चात आगे की कार्यवाही की जाएगी।

(ख) जी नहीं।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपरोक्त ''क'' के अनुसार।

25. श्री जसवंत सिंह राणा: क्या शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगीं कि

(क) क्या यह सत्य है कि नरेला विधान सभा क्षेत्र के वृद्व विधवा तथा विक्लांग

व्यक्तियों की पेंशन के फार्म लंबे समय से लंबित पड़े है;

(ख) क्या यह भी सत्य है कि संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय में विधवा महिलाओं की पुत्री के विवाह पर दी जाने वाली आर्थिक सहायता के फार्म भी बहुत समय से लंबित पड़े है।

(ग) इन लंबित पेंशन फार्मो का निपटान कब तक कर दिया जायेगा?

शिक्षा मंत्री जी:

(क और ख) जी नहीं। विभाग द्वारा सभी आवेदन-पत्र जिनमें कोई त्रुटी नहीं पाई जाती, 45 दिनों के अन्दर स्वीकृत किये जाते है।

(ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

26. श्री मोहन सिंह बिष्ट: क्या ऊर्जा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा खादय एवं संभरण विभाग के सर्किल ऑफिस व सहायक आयुक्तों के कार्यालयों को रेनोवेट करके उन्हें सजाने-संवारने की योजना बनाई गई है

(ख) यदि हां, तो इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च की जा रही है, इसका सर्किल अनुसार विवरण क्या है:

(ग) क्या यह भी सत्य है कि सरकार द्वारा राशन एवं मिट्टी का तेल देने का प्रावधान समाप्त कर उपभोक्ताओं को सीधे कैश सब्सिडी दिए जाने की योजना लागू कर दी गई है, और

(घ) यदि हां, तो जब इन ऑफिसों में राशन वितरण का कार्य समाप्त हो गया है तो रेनोवेशन पर इतनी अधिक धनराशि खर्च करने का क्या औचित्य?

ऊर्जा मंत्री जी:

(क) जी हां।

(ख) विभाग द्वारा 39 कार्यालयों के रेनोवेशन के लिए रुपये 8,05,92,528 (आठ करोड पांच लाख बानवे हजार पांच सौ अठठाइस) की धनराशि डीएसआईआईडीसी को आबंटित की गई है। सर्कल अनुसार विवरण सूची पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ग) जी नहीं। वर्तमान में केवल मिट्टी का तेल उपयोग करने वाले कार्डधारियों को कैरोसीन मुक्त दिल्ली योजना के तहत पहली बार एक एलपीजी भरा सिलेंडर, चूल्हा, रेगुलेटर तथा सुरक्षा पाइप मुफ्त प्रदान किया जा रहा है।

(घ) उपरोक्त क्रम सं. 'ग' के अनुसार लागू नहीं।

27. श्री सतप्रकाश राणा: क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वर्तमान में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग की टेन्डर प्रक्रिया का विवरण क्या है।

(ख) इस प्रक्रिया के तहत एक सिविल डिविजन कार्यालय द्वारा एक दिन में कुल कितने टेंडर लगाना संभव है।

(ग) वर्तमान में सी.डी-1 में कुल कितने टेंडर लगाये जाने, कितने दिन से लंबित हैं तथा इन्हें कब तक लगा दिया जाएगा, और

(घ) टेंडर प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए विभाग द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे है?

स्वास्थ्य मंत्री जी:

(क) सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण विभाग द्वारा टेंडर, ई-टेंडरिंग प्रकिया के तहत दिल्ली सरकार की बेबसाइट जो कि एन.आई.सी. द्वारा संचालित है, पर लगाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त टेंडर विज्ञापन को दिल्ली सूचना एवं प्रसार निदेशालय के माध्यम से विभिन्न अखबारों में भी प्रकाशित किया जाता है।

(ख) एक सिविल डिविजन द्वारा एक दिन में टेंडर लगाने की कोई सीमा निर्धारित नहीं है। परन्तु एक सिविल डिविजन में एक दिन में 3-4 से ज्यादा एन.आई.टी. तैयार नहीं हो पाती है। अत: 3-4 टेंडर लगाये जाते है।

(ग) सी.डी.-1 में अब तक तैयार की गई एन.आई.टी. के सभी टेंडर दिनांक 6.12 12 तक लग गए हैं तथा वर्तमान में कोई भी टेंडर लगाना शेष नहीं है।

(घ) इस प्रक्रिया में फिलहाल कोई त्रुटि नहीं है। अत: इसमें सरलीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है।

28. श्री अरविन्द्र सिंह: क्या समाज कल्याण मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि

(क) देवली विधानसभा क्षेत्र के अंतगर्त कितने आंगनवाड़ी केन्द्र है, इनका नाम व पता सहित पूर्ण ब्यौरा क्या है?

(ख) नई आंगनवाड़ी खोलने के लिए क्या मापदंड हैं तथा सरकार द्वारा कितनी आंगनवाड़ी खोलने का लक्ष्य रखा हैं?

(ग) एक आंगनवाड़ी खोलने में सरकार को कितनी धनराशि व्यय करनी पड़ती हैं?

(घ) क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा इस वर्ष आंगनवाड़ी वर्करों के वेतन में बढोत्तरी की गई हैं, यदि हां, तो कितनी?

(ड़) देवली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितनी आंगनवाड़ी वर्कर हैं एवं कहां-कहां पर तैनात हैं, इसका विवरण क्या हैं;और

(च) क्या देवली विधानसभा में नए आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने की सरकार की कोई योजना हैं?

महिला एवं बाल विकास मंत्री जी:

(क) देवली विधानसभा क्षेत्र में 3 परियोजनाओं के अंर्तगत 275 आंगनवाड़ी केन्द्र हैं। नाम व पते की सूची पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) प्रत्येक जरुरतमंद इलाके में 400 से 800 की जनसंख्या पर आंगनवाड़ी केन्द्र खोला जा सकता हैं। भारत सरकार द्वारा दिल्ली राज्य के लिए 11150 आंगनवाड़ी केन्द्र स्वीकृत किए हैं जिसमें से 10615 आंगनवाड़ी केन्द्र खोले जा चुके हैं।

(ग) एक आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित धनराशि व्यय की जाती है;

	कुल व्यय
आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने के लिए एक मुश्त राशि (Nonrecurring)	500 रुपये
आंगनवाड़ी केन्द्र का किराया आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता/ सहायिका का मानदेय	8250 रुपये प्रतिमाह
प्री-स्कूल किट मेडियन किट आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं व सहायिकायों की वर्दी, विविध	3800 रुपये प्रति वर्ष
पूरक पोशाहार	औसत 500 रु/दिन

(घ) जी हां। 7 नवम्बर 2012 से आंगनवाड़ी वर्करों के मानदेय में दिल्ली सरकार द्वारा 1000 रुपये प्रतिमाह/ कार्यकर्ता एवं आंगनवाड़ी सहायिकायों के मानदेय में 500 रुपये प्रतिमाह/सहायिका के हिसाब से बढोत्तरी की गई हैं। वर्तमान में कार्यकर्ता को कुल 500 रुपये प्रतिमाह तथा सहायिका को 2500 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाता हैं।

(ड़) देवली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 275 आंगनवाड़ी वर्कर हैं। उनकी सूची पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(च) यदि किसी क्षेत्र में आंगनवाड़ी की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं तो उस क्षेत्र में आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने पर विचार किया जा सकता हैं।

29. चौ. मतीन अहमदः क्या उद्योग मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में नए औद्योगिक इलाके बनाए जाने है;

(ख) यदि हां, तो पुराने 36 इलाकों को कब तक नियमित कर दिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त इलाकों के संबंध में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

उद्योग मंत्री जीः

(क) जी हां

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने 22 गैर अनुरुप औद्योगिक क्लस्टरो (Non-conforming Industrial Clusters) को अधिसूचित किया है जिनमें 70 प्रतिशत से अधिक औद्योगिक भूखण्ड संकेन्द्रित हैं।

* दिल्ली विकास प्राधिकरण ने इस क्षेत्रों के पुनर्विकास के लिए नियम एवं दिशानिर्देश 01 मई, 2012 को जारी किये हैं।

* इन क्षेत्रों के पुनर्विकास का कार्य संबंधित पुनर्विकास योजना को एम.सी.डी. द्वारा स्वीकृति दिये जाने के 3 वर्ष के अन्दर किया जाना है।

(ग) लागू नहीं

30. श्री वीर सिंह धिंगानः क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली में प्रशिक्षण एवं तकनीकी संस्थान चलाये जा रहे हैं;

(ख) यदि हां तो दिल्ली में कुल कितने प्रशिक्षण संस्थान कहां-कहां चलाए जा रहे है;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि विद्यार्थियों की बढ़ती संख्या को दृष्टिगत रखते हुए सरकार ने कुछ नए संस्थान खोलने का निर्णय लिया है यदि हां, तो दिल्ली में कुल कितने संस्थान खोले जाएंगे; और

(घ) क्या सीमापुरी विधान सभा क्षेत्र में भी कोई प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा संस्थान खोला जायेगा, यदि हां, तो यह संस्थान कब तक खोल दिया जाएगा?

स्वास्थ्य मंत्री जीः

(क) जी हां।

(ख) दिल्ली में कुल 17 सरकारी प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई) व 59 गैर सरकारी/प्राइवेट संस्थान चलाए जा रहे हैं। उनकी सूचियों अनुबंधो ''अ'' एवं ''ब'' के रुप में संलग्न हैं।

(ग) जी हां। कुल छः संस्थान खोलने का प्रस्ताव है।

(घ) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

31. श्री साहब सिंह चौहानः क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) बनने के पश्चात दिल्ली सरकार के तत्कालीन कर्मचारी/स्टाफ की डीटीयू में वर्तमान में क्या स्थिति है;

(ख) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार ने उक्त कर्मचारियों के पदोन्नति संबंधी मामलों के लिए कोई डीपीसी अभी तक नहीं बनाई गई और न ही उन्हें अपेक्षित इंकरीमेन्ट व अन्य सुविधाएं दी हैं; यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सत्य है कि डीन तथा विभागाध्यक्षों की नियुक्तियों व बहालियों में डीटीयू एक्ट की लगातार अवहेलना व मनमानी हो रही है, तथा इस संबंध में माननीय उपराज्यपाल के दिनांक 23.10.2012 के आदेश को भी अनदेखा किया गया;

(घ) यदि हां, तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं;

(ड़) क्या यह भी सत्य है कि विद्यार्थियों की संख्या के दृष्टिगत उन्हें सुविधाएं नहीं दी गई हैं तथा फीस मनमानी बढ़ा दी गई है; और

(च) डीटीयू में कैन्टीन, पार्किंग, सैनीटेशन, सुरक्षा संबंधी ऐजेंसियों का चयन किया आधार पर कब-कब किन शर्तों पर हुआ, इसका विस्तृत ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य मंत्री जी:

(क) डीटसीयू एक्ट की धारा 4 (डी) के अनुसार दिल्ली सरकार के तत्कालीन कर्मचारी/स्टाफ डीटीयू में डीम्ड प्रतिनियुक्ति पर हैं। उन्हें वह सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं जो विश्वविद्यालय बनने से पहले उन्हें मिलती थी।

(ख) दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) में बदलने के बाद दिनांक 08.06.2010 के आदेशानुसार 71 तकनीकी कर्मचारियों को ए.सी.पी योजना के तहत वित्तीय अप-ग्रेडेशन प्रदान किया गया और उसके बाद 84 कर्मचारियों (तकनीकी व मिनिस्टेरियल) को दिनांक 27.05.2011 के आदेशानुसार प.सी.पी. व एम.ए.सी.पी. के तहत वित्तीय अप-ग्रेडेशन प्रदान किया गया उन 24 तकनीकी/ मिनिस्टेरियल कर्मचारियों, जिनके एम.ए.सी.पी. के मामले 30.06.2012 तक देय हैं वह मामले विचाराधीन हैं व उनको जल्द ही अंतिम रुप दे दिया जाएगा।

(ग) इस संबंध में विभाग में शिकायते प्राप्त हुई हैं माननीय उपराज्यपाल ने दिनांक 23. 10.2012 को एक आदेश अंडर सेक्शन 53 दिल्ली तकनीकी विश्वविद्यालय (संशोधन) कानून 2012 के तहत कुलपति को विभागाध्यक्ष के पुनर्नियुक्ति के लिए जारी किया है। इस संदर्भ में माननीय उपराज्यपाल को स्पष्टीकरण देते हुए, कुलपति द्वारा पुनर्विचार हेतु अनुरोध किया गया है।

(घ) उपरोक्तानुसार।

(ड़) यह सत्य नहीं है, 162 एकड़ में फैले इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को वह सभी सुविधाऐं उपलब्ध हैं जो कि एक तकनीकी विश्वविद्यालय में होनी चाहिए।

फीस की बढ़ोतरी वित्त विभाग के दिशा निर्देशों के आलोक में तर्क-संगत तरीके से प्रबंधन मंडल द्वारा स्वीकृति के उपरान्त की गई है।

(च) डीटीयू में कैन्टीन, पार्किंग, सैनीटेशन, सुरक्षा संबंधी ऐजेंसियों का चयन ई-टैन्डर के माध्यम से प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्गत टैन्डर नियमों को आधार मानते हुए एन.आई.टी. के अनुसार किया गया है। नियम व शर्ते संलग्न हैं। इस विश्वविद्यालय में पार्किंग की सुविधा छात्र/छात्राओं, अध्यापकों, कर्मचारियों एवं आगंतुकों को अन्य शिक्षण संस्थाओं की तरह निःशुल्क उपलब्ध है।

32. श्री विपिन शर्मा: क्या ऊर्जा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि रोहताश नगर विधान सभा क्षेत्र में अनेक एपीएल कार्डो पर मोहर न लगने के कारण उन पर विभाग द्वारा गेंहू, चावल आदि नहीं दिया जा रहा है,

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है, और

(ग) एपीएल कार्डो पर मोहर कब तक लगाई जाएगी?

ऊर्जा मंत्री जी:

(क) जी हां।

(ख) केन्द्र द्वारा दिल्ली सरकार को जो कोटा जारी किया गया है वह वर्तमान में मौजूद ए.पी.एल(स्टैम्प्ड), बी.पी.एल., जे.आर.सी. ए.ए.वाई, होमलेस और अन्नपूर्णा कार्डो के लिए ही पर्याप्त है इसीलिए वर्तमान में बन रहे नए ए.पी.एल. राशनकार्डो पर राशन नहीं दिया जा रहा है।

(ग) मामला विचाराधीन है।

33. चौ. सुरेन्द्र कुमारः क्या समाज कल्याण मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि

(क) गोकुल पुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2011-12 के दौरान विधवा पेंशन, एवं विधवाओं की बेटी के विवाह के लिए कितनी सहयोग राशि दी गई, नाम, पते सहित सूचीवार विवरण क्या है,

(ख) कितने फार्म लबित हैं, और

(ग) लंबित मामलों को कब तक निपटा दिया जाएगा?

समाज कल्याण मंत्री जीः

(क) गोकुलपुर विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2011-12 के दौरान प्राप्त आवेदन-पत्र की स्वीकृति के बाद लाभार्थियों को दिए गए आर्थिक सहायता का विवरण निम्न हैः-

क्रम.	*आर्थिक सहायता*	*लाभार्थियों की सं.*	*कुल राशि रुपए में*
1.	विधवा एवं बेसहारा पेंशन	383	35,39,000
2.	विधवा बेटी विवाह	73	17,05,000

नाम व पते सहित पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) कोई भी आवेदन लंबित नहीं है।

(ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

35. श्री कृष्ण त्यागी: क्या समाज कल्याण मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि

(क) बुराड़ी विधानसभा के लिए आवश्यक 50 नए आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति कब तक दे दी जायेंगी:

(ख) क्या इस क्षेत्र के लिए कोई महिला तकनीकी संस्थान खोलने की योजना है, उनका पूर्ण विवरण क्या हैं?

समाज कल्याण मंत्री जी:

(क) माननीय विधायक द्वारा नई आंगनवाड़ी खोलने का अनुरोध भारत सरकार की स्वीकृति प्राप्त होते ही खोल दिये जायेंगे। जिसके लिए विभाग भारत सरकार से पत्राचार कर रहा है।

(ख) जी नहीं।

(ग) दिल्ली में महिलाओं के कल्याण के लिए महिला एवं बाल विभाग द्वारा निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही है:-

(1) विधवा एवं निराश्रित महिलाओं के लिए 1500/-रु. प्रतिमाह पेंशन योजना।

(2) विधवा महिलाओं की पुत्रियों तथा अनाथ कन्याओं की शादी के लिए 30,000/-रु. एक मुश्त राशि देने की योजना।

(3) लाडली योजना।

(4) प्रियादर्शनी कामकाजी महिला हॉस्टल, विश्वास नगर, दिल्ली।

(5) महिला कार्य केन्द्र।

(6) घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए महिलाओं की घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम-2005 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में लागू किया गया है, जिसके अंतर्गत 17 संरक्षण अधिकारी महिला एवं बाल विकास द्वारा नियुक्त किए गए हैं।

(7) दहेज निरोधक कार्यक्रम के अंतर्गत सभी जिला समाज कल्याण अधिकारियों को दहेज प्रतिरोध अधिकारी नामित किया गया हैं।

(8) दिल्ली महिला आयोग दूसरी मंजिल, सी ब्लॉक, विकास भवन, नई दिल्ली।

(9) निराश्रित गर्भवती महिलाओं के लिए आश्रम गृह।

(10) इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना।

(11) आवाज उठाओ।

(12) कमजोर वर्ग की दूध पिलाने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता। इन योजनाओं के अतिरिक्त दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं के लिए चार गृह निर्मल छाया परिसर जेल रोड़ में चलाए जा रहे है।

36. श्री कुलवंत राणा: क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) दिल्ली में कुल कितने तकनीकी शिक्षा केन्द्र हैं तथा कहां-कहां पर स्थित हैं;

(ख) रोहिणी में कितने तकनीकी शिक्षा केन्द्र हैं इनके नाम क्या हैं, इनमें किन-किन

विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती है, तथा इनमें कितने-कितने विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, इसका पूर्ण विवरण क्या है;

(ग) रिठाला विधान सभा क्षेत्र में दिल्ली सरकार द्वारा नए तकनीकी शिक्षा केन्द्र खोलने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण से कितने भू-खंड लिए गए हैं, तथा किन-किन स्थानों पर हैं, उसका क्षेत्रफल क्या है;

(घ) क्या सरकार द्वारा यह भूमि प्राप्त की जा चुकी हैं; और

(ड़) सरकार कब तक नए तकनीकी शिक्षा केन्द्र खोल देगी, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य मंत्री जी:

(क) दिल्ली में कुल 133 तकनीकी शिक्षा केन्द्र हैं जिनमें से 38 सरकारी (विश्वविद्यालय-03, संस्थान-07, पालिटेकनिक-11 तथा आई.टी. आई.-17), 3 सरकारी सहायता प्राप्त व 92 गैर सरकारी/प्राइवेट संस्थान (संस्थान-25, पॉलिटेकनिक-08 तथा आई.टी.आई/आई.टी.सी-59), हैं। सरकारी एवं गैर सरकारी/प्राइवेट संस्थान जो प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अधीन कार्यरत हैं उनकी सूचियां अनुबंधों ''ब'' के रुप में पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) रोहिणी में निम्नलिखित 2 तकनीकी शिक्षा संस्थान हैं:-

(1) रोहिणी में गुरु नानक देव पॉलिटेकनिक (सरकारी) है जिसमें निम्नलिखित विषयों की शिक्षा दी जाती है:-

विषय	*I सैमेस्टर स्टूडेंट संख्या*	*III सैमेस्टर स्टूडेंट संख्या*	*V सैमेस्टर स्टूडेंट संख्या*
कैमिकल इंजिनियरिंग (सुबह/शाम)	62/49	54/42	54/35
इलेक्ट्रो. व कॉम्यूनिकेशन इंजिनियरिंग (सुबह/शाम)	70/50	67/48	57/35
मैकेनिकल इंजिनियरिंग (सुबह/शाम)	66/52	69/51	48/44
पॉलिमर इंजिनियरिंग (सुबह/शाम)	63/60	51/61	50/47
इलेक्ट्रीक इंजिनियरिंग (सुबह)	70/..	63/..	57/..

(2) रोहिणी में माउण्ट आबू प्राइवेट आई.टी.आई सैक्टर-5 में स्थित है जिसमें कि कम्पयूटर ओपरेटिंग एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट का कोर्स कराया जाता है जिसमें 40 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा इस कार्य के लिए कोई भी भू-खंड प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

(ड़) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

37. श्री अनिल कुमार: क्या ऊर्जा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली के बीपीएल के अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को मिट्टी के तेल की जगह गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं, और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में तथा पटपडगंज विधान सभा क्षेत्र में इनकी संख्या क्या है:

(ग) क्या यह सत्य है कि जिन कार्डधारियों के पास आधार कार्ड नहीं है, उनको इस योजना के तहत गैस कनेक्शन नहीं मिलेगा, यदि हां, तो इसका विवरण क्या है,

(घ) क्या यह भी सत्य है कि कुछ बीपीएल कार्डधारियों के नाम पर एक भी गैस कनैक्शन नहीं है लेकिन उनके राशन कार्ड पर गैस कनेक्शसन चढा हुआ है,

(ड) क्या ऐसे व्यक्ति दिल्ली सरकार द्वारा मुफ्त गैस कनेक्शन दिए जाने वाली योजना का लाभ ले सकते हैं, और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ऊर्जा मंत्री जी:

(क) जी हां।

(ख) दिल्ली में 'कैरोसीन मुक्त दिल्ली' योजना के अंतर्गत कुल 356395 बीपीएल/एएवाई/जेआरसी कार्डधारी हैं तथा पटपडगंज मंडल संख्या 57 में बीपीएल/एएवाई/जेआरसी (एपीएल) कार्डधारियों की कल संख्या 2318 हैं जिसका ब्यौरा निम्नलिखित है;

एएवाई- 762

बीपीएल- 1395

जेआरसी- 161

(ग) जी नहीं।

(घ, ड़ एवं च) अभी हाल में ऐसी कुछ शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों पर विचार किया जा रहा है। जांच के पश्चात ऐसे कार्डधारकों को गैस कनेक्शन की सुविधा दी जा सकेगी।

38. श्री रमेश विधूड़ी: क्या शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में समेकित बाल विकास योजना (ICDS) के अंतर्गत चल रहे कार्यक्रमों के लिए केन्द्र सरकार से आर्थिक मदद प्राप्त हो रही है?

(ख) यदि हां, तो वित वर्ष 2012-13 हेतु दिल्ली सरकार को इस योजना के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई?

(ग) दिनांक 01.12.2012 तक कुल कितनी राशि प्राप्त हुई तथा वह कहां-कहां पर खर्च हुई, उसका विस्तृत विवरण क्या हैं?

(घ) दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा इस समेकित योजना के अंतर्गत क्या-क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका विस्तृत विवरण क्षेत्रानुसार क्या हैं? और

(ड़) क्या इस आई.सी.डी.एस ICDS योजना के लिए दिल्ली सरकार का भी आर्थिक योगदान हैं, यदि हां, तो इसका विवरण क्या हैं?

शिक्षा मंत्री जी:

(क) जी हां। समेकित बाल विकास योजना भारत सरकार द्वारा प्रायोजित होने के कारण भारत सरकार आर्थिक मदद भी प्रदान कर रही हैं।

(ख) वित्त वर्ष 2012-13 हेतु दिल्ली सरकार को इस योजना के अंतर्गत कुल 70.14 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराई गई।

(ग) केन्द्र सरकार

	प्राप्त राशि (2012-13)	*2011-12 की Liabilities (रुपये में)*	*2012-13 लिए कुल उपलब्ध राशि (Col 2 B Col3)*	*खर्चा (2012-13)*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
ICDS General (90%)	60-44 करोड़ रुपये	17-81	4153	36-37
Supplementary Nutrition Programme (50%)	27-81 करोड़ रुपये	10.44	17.16	4.18

ICDS General की राशि स्टाफ की सैलरी, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं एवं सहायिकाओं का मानदेय, आंगनवाड़ी केन्द्रों का किराया, प्री-स्कूल किट, मेडिसिन किट, कन्टीजैन्सी आदि पर खर्च हुई हैं तथा SNP की राशि पूरक पोषहार पर खर्च हुई हैं।

(घ) दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा समेकित बाल विकास योजना के माध्यम से निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही हैं:

लाभार्थी

1. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (IGMSY) — गर्भवती महिला-17 वर्ष से अधिक की आयु जिसका पहला व दूसरा प्रसव हो जिसमें उसने जीवित बच्चे को जन्म दिया हो और जिसका पति सरकारी कार्यालय/सार्वजनिक क्षेत्र के

		उपक्रम (केन्द्रीय या राज्य सरकार) में काम नहीं करता हैं। लाभार्थियों को 4000 रुपये की धन राशि उचित देखभाल हेतु 3 किश्तों में निर्धारित शर्तो के आधार पर दी जाती हैं। यह योजना उत्तर पश्चिम व पश्चिम जिलों में चल रही हैं।
2.	कमजोर वर्ग की दूध पिलाने वाली महिलाओं को आर्थिक सहायता	कमजोर वर्ग की एव अनुसूचित जाति एवं जन जाति की दूध पिलाने वाली महिलाओं को उचित पोषाहार हेतु प्रथम 2 बच्चों के जन्म पर 400 रुपये की एक मुश्त राशि।
3.	राजीव गांधी किशोरी सशक्ती करण योजना 'सबला'	इसके अर्न्तगत 11 से 15 वर्ष की किशोरियों को पोषाहार एवं गेर पोषाहर संबधी सेवायें उपलब्ध कराई जाती है जिसमें स्वास्थ्य जांच, आयरन एवं फौलिक एसिड की गोलियों का वितरण, जीवन कौशल कला शिक्षा एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण का प्रावधान हैं। यह योजना पश्चिम, पूर्व एवं उत्तर पूर्व जिलों में चल रही हैं।

(ड़) जी हां। भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार दिल्ली सरकार भी निम्न अनुपात के अनुसार दिल्ली सरकार भी निम्न अनुपात के अनुसार आर्थिक योगदान करती हैं;

	दिल्ली सरकार
पुरक पोषहार हेतू (Supplementary Nutrition Programme)	कुल राशि का 40 प्रतिशत
तनख्वाह मानदेय आंगनवाड़ी का किराया एवं अन्य	कुल राशि का 10 प्रतिशत

उपरोक्त के अतिरिक्त दिल्ली सरकार निम्न मदों पर भी खर्चा करती हैं;

आंगनवाड़ी कार्यकताओं का मानदेय	1140 रुपये प्रतिमाह सहायिका (1000+140 रुपये 10)
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की 2 वर्दी	400 रुपये प्रति वर्ष /कार्यकर्ता
आंगनवाड़ी सहायिकायों की 2 वर्दी	400 रुपये प्रति वर्ष/सहायिका
पूरक पोषहार	3 रुपये प्रतिदिन/प्रति बच्चा (1+2 रुपये 40)
	3 रुपये प्रतिदिन / प्रति (0.40+2.40 रुपये 40)

39. श्री सुरेन्द्र पाल सिंहः क्या लोक निर्माण मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण विभाग द्वारा विजय नगर सिंगल स्टोरी से गुड़ मंडी जी.टी. रोड तक नजफगढ नाले के साथ-साथ सड़क का निर्माण प्रस्तावित है?

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के प्रारम्भ होने में देरी के क्या कारण हैं? और

(ग) इस सड़क का निर्माण कब तक आरम्भ कर दिया जायेगा?

लोक निर्माण मंत्री जी:

(क) जी नहीं। विजय नगर सिंगल स्टोरी से गुड़मंडी जी.टी रोड तक नजफगढ नाले के अंदर पिलर खड़े करके सड़क चौड़ा किये जाने की एक योजना लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई है।

(ख तथा ग) विभिन्न औपचारिकताओं को पूरा करने तथा अध्ययन के पश्चात उपरोक्त योजना का कार्यान्वयन प्रारम्भ कर दिया जायेगा।

40. श्री धर्मदेव सोलंकी: क्या समाज कल्याण मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि

(क) पालम विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत विधवा महिलाओं को पेंशन व आर्थिक सहायता कब तक दी गई हैं,

(ख) उसका पूर्ण विवरण क्या है,

(ग) क्या विधवाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि बढाने की कोई योजना है, और

(घ) यदि हां, तो कब तक, इनमें वृद्धि कर दी जायेगी, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

समाज कल्याण मंत्री जी:

(क) पालम विधान सभा क्षेत्र के अंतर्गत विधवा पेंशन एवं आर्थिक सहायता का नवम्बर 2012 तक का विवरण निम्नलिखित है:-

क.स.	*योजना का नाम*	*कुल लाभार्थी*
1.	विधवा पेंशन	1712
2.	आर्थिक सहायता (एन एफ बी एस)	26

विभाग द्वारा सभी आवेदन-पत्र जिनमें कोई त्रुटि नहीं पाई जाती, 45 दिनों के अंदर स्वीकृत किए जाते हैं।

(ख) सूची पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) फिलहाल नहीं, परंतु सरकार ने विधवा/निराश्रित महिलाओं को प्रदान की जाने वाली पेंशन राशि दिनांक 01.04.2012 से 1000 रु. से बढ़ाकर 1500 रु. कर दी है।

(घ) उपरोक्तानुसार।

52. श्री अरविन्दर सिंह: क्या ऊर्जा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली को पूर्ण किरोसीन मुक्त करने हेतु सरकार की कोई योजना है,

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने लोगों को किरोसीन मुक्त करने हेतु गैस कनैक्शन दिए जा चुके हैं,

(ग) देवली विधान सभा क्षेत्र में कितने परिवारों को किरोसीन मुक्त कर गैस कनेक्शन दिए है, उनका पूरा ब्यौरा उपलब्ध कराया जाए; और

(घ) परिवारों को कब तक गैस कनेक्शन उपलब्ध करा दिए जाएंगें?

ऊर्जा मंत्री जी:

(क) जी हां।

(ख) दिनांक 4/12/2012 की रिपोर्ट के अनुसार अब तक कुल 1619 कार्डधारियों को गैस कनैक्शन जारी किए जा चुके है।

(ग एवं घ) देवली विधान सभा क्षेत्र में अब तक 963 लोगों ने कैरोसीन फ्री दिल्ली योजना के अंतर्गत आवेदन किया है। इसमें से 634 फार्म गैस कम्पनी को भेज दिए गए हैं तथा 328 फार्म गैस वितरक के पास लंबित हैं। एक गैस कनेक्शन श्री जहीर अहमद को रिलीज हुआ है जिनका पता-77 बी ब्लाक संजय कैम्प दक्षिणपुरी एक्सटेंक्शन है। 31 जनवरी 2013 तक सभी पात्र आवेदकों को गैस कनेक्शन उपलब्ध करा देने का लक्ष्य रखा गया है।

53. श्री अरविन्दर सिंह: क्या ऊर्जा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में बीपीएल कार्डधारियों को राशन देना बंद कर दिया गया है,

(ख) क्या यह भी सत्य है कि इन कार्डधारियों को राशन के बदले नकद धनराशि का भुगतान सरकार द्वारा सीधे कार्डधारियों के खाते में किया जा रहा है,

(ग) इस भुगतान को करने की प्रक्रिया क्या है, और

(घ) देवली विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत कितने कार्डधारियों को भुगतान किया गया उनका पूरा ब्यौरा उपलब्ध करवाने का कष्ट करें?

ऊर्जा मंत्री जी:

(क) जी नहीं।

(ख, ग एवं घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

54. श्री मोहन सिंह बिष्ट: क्या ऊर्जा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा अंत्योदय/पीले कार्डधारकों को रशन पर दी जाने वाली सब्सिडी के बदले नकद भुगतान किए जाने संबंधी योजना लागू कर दी गई है,

(ख) यदि हां, तो ऐसे कार्डधारकों की संख्या पूरी दिल्ली में कितनी व करावल नगर विधानसभा में कितनी है,

(ग) इन कार्डधारको को सब्सिडी दिए जाने के लिए क्या मापदंड तय किए गए हैं,

(घ) क्या यह भी सत्य है कि कई उच्च आय वर्ग के श्रेणी के लोगों द्वारा इस तरह फार्म भरे गये हैं,

(ड़) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस संबंध में कोई जांच-पडताल की गई है; और

(च) यदि हां, तो क्या यदि नहीं तो क्यों नहीं?

ऊर्जा मंत्री जी:

(क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

(ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

(घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

(ड़) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

(च) उपरोक्तानुसार लागू नहीं।

55. श्री कुलवंत राणा: क्या ऊर्जा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) रिठाला विधान सभा क्षेत्र में कुल कितने मिट्टी के तेल के डिपो हैं, और किन-किन स्थानों पर किस-किस नाम से हैं, उनके मालिक कौन-कौन हैं, प्रत्येक डिपो पर उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है व इनको प्रति माह कितना-कितना तेल मिलता है, प्रत्येक डिपोवार उपभोक्ताओं के नाम व पते सहित सूची मुहैया करवाई जाए,

(ख) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार ने प्रत्येक मिट्टी तेल कार्डधारी को गैस चुल्हा एवं सिलेंडर मुहैया करवाने का फैसला किया है, इस योजना के तहत आज तक कितने लोगों को गैस चुल्हे व सिलेंडर दिए गए है, और कहां-कहां पर दिए गए हैं, उनकी नाम व पते सहित सूची मुहैया करवाई जाए,

(ग) दिल्ली सरकार किन-किन नियम व शर्तो के अनुसार कम्पनियों से गैस चुल्हे एवं सिलेंडर प्राप्त कर रह हैं, उसके रेट क्या हैं, और किस आधार पर लिए जाएंगे?

ऊर्जा मंत्री जी:

(क) प्रत्येक उपभोक्ता को प्रतिमाह 12.5 लीटर मिट्टी का तेल मिलता है। प्रत्येक डिपोवार उपभोक्ताओं के नाम व पते की सूची सीडी में संलग्न है।

(ख) दिल्ली सरकार की किरोसीन मुक्त दिल्ली योजना के तहत उन 356395 बीपीएल/एएवाई/जेआरसी राशन कार्डधारियों को मुफ्त गैस कनैक्शन, जिसके तहत पहली बार एलपीजी भरा सिलेंडर, चूल्हा, रेगूलेटर तथा सुरक्षा पाइप मुफ्त प्रदान किया जा रहा है जो कि दिल्ली सरकार के खादय एवं आपूर्ति विभाग से सस्ती दर पर मिट्टी का तेल प्राप्त करतें हैं तथा गैस उपभोक्ता नहीं है। अभी तक कुल 1619 कनैक्शन गैस कम्पनियों द्वारा जारी किए गएं हैं लाभर्थियों के नाम व पते की सूची सीडी में संलग्न है।

(ग) दिल्ली सरकार की किरोसीन मुक्त दिल्ली योजना के तहत सिलेंडर तथा रेगुलेटर के एवज में घरोहर राशि के रुप में प्रत्येक बीपीएल/एएवाई कार्डधारी के लिए रु. 800/ भारत सरकार तथा रु. 800/ दिल्ली सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। तथा जेआरसी (एपीएल) कार्डधारी के एवज में रु. 1600/ के हिसाब से पूरा खर्च दिल्ली सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। प्रत्येक बीपीए/एएवाई/जेआरसी (एपीएल) कार्डधारी को मुफ्त गैस कनेक्शन प्रदान करने में वहन किए जाने वाले खर्च का ब्यौरा निम्न है:–

कार्डधारी की श्रेणी	*सिलिंडर एवं रेगूलेटर की कीमत (रुपये में)*	*दो बर्नर चूल्हा +रबर पाईप+ नीली किताब + इनस्टांलेशन चार्ज (रुपये में)*	*एलपीजी की लगत (रुपये में)*	*दिल्ली सरकार द्वारा वहन की जाने वाली लागत राशि (रुपये में)*	*भारत सरकार द्वारा वहन की जाने वाली लागत राशि (रुपये में)*
एएवाई	1600	1250	399	2449	800
बीपीएल	1600	1250	399	2449	800
एपीएल (जेआरसी)	1600	1250	399	3249	--

56. श्री कुलवंत राणा: क्या ऊर्जा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में जो राशन कार्डधारी हैं और दिल्ली सरकार से राशन प्राप्त कर रहे हैं व अलग-अलग श्रेणी के हैं उनमें से दिल्ली सरकार अन्नश्री योजना के तहत किस-किस श्रेणी के कितने-कितने लोगों को सम्मिलित करेंगी? इस योजना को कैसे लागू किए जाएगा व इसके क्या मापदंड होंगे? यह योजना कब तक लागू हो जाएगी और खाते में पैसे कब तक आने प्रारम्भ हो जाएंगे,

(ख) रिठाला विधानसभा क्षेत्र के कुल कितने लोगों को इस योजना में सम्मिलित किया गया है उनके नाम, पते व फौन नं. सहित सूची मुहैया करवाई जाए,

(ग) गरीबी रेखा के नीचे दिल्ली में कुल कितने लोग हैं,

(घ) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली में न्यूनतम गरीबी की वार्षिक आय 60,000 रुपये निश्चित की गई है, क्या यह आय बहुत कम नहीं है, क्या इस वार्षिक न्यूनतम आय के कारण बहुत सारे गरीब लोग इस योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं, क्या सरकार इसको बढाने की कोई योजना बना रही है ताकि सभी गरीब लोग इसका लाभ उठा सके,

(ड़) सरकार ने जिन व्यक्तियों को उचित दर दुकाने दे रखी है उनके बारे में सरकार क्या विचार कर रही है, और एफ.पी.एस. की अन्नश्री योजना में क्या भूमिका रहेगी, क्या यह भी सत्य है कि प्रत्येक एफ.पी.एस. पर फर्जी राशन कार्ड हैं, सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही हैं?

ऊर्जा मंत्री जी:

(क) दिल्ली अन्नश्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे अत्यंत गरीब परिवार जो दिल्ली सरकार

के जनवितरण प्रणाली (पीडीएस)के किसी भी कार्यक्रम के द्वारा लाभान्वित नहीं हो रहे हैं उनको रुपये 600/- प्रतिमाह नकद खादय सहायता प्रदान की जाएगी। यह धनराशि परिवार की वरिष्ठतम महिला सदस्य के बैंक खाते में सीधे अंतरित की जाएगी। चालू वित वर्ष के दौरान करीब 2 लाख सबसे कमजोर परिवारों को इस कार्यक्रम का लाभ पहुंचाया जाएगा। इस योजना को इस वित्त वर्ष के दौरान की शुरु किया जाएगा।

दिल्ली सरकार के आदेश संख्या एफ. 4/23/08एआर/8562-8562/सी दिनांक 27.08.2008 के अनुसार अत्यंत गरीब लोगों को परिभाषित एवं चिन्हित करने के लिए मुख्य तीन मापदण्ड अपनाए गए-

1. भौगोलिक मापदण्ड-अधिसूचित/गैरअधिसूचित झुग्गी, होमलेस एवं एफ.जी.एच वर्ग के कॉलोनियों में रहने वाले निवासी।

2. सामाजिक मापदण्ड-महिला एवं बच्चों की प्रधानता वाले परिवार, बुजुर्ग परिवार, विकलांग परिवार एवं गंभीर रुप से बीमार परिवार।

3. पेशागत मापदंड-कूडा बीनने वाला, दैनिक मजदूर, रेहडी खोमचे वाले, साईकिल रिक्शा चालक एवं धरेलू नौकर इत्यादि।

मिशन कनवरजेंस (सामाजिक सुविधा संगम) ने सितम्बर-अक्टूबर 2008 अप्रैल-अगस्त 2009 एवं मार्च-दिसम्बर 2011 में तीन सर्वेक्षण किए। इस सर्वेक्षण में अधिसूचित/गैरअधिसूचित झुग्गी, होमलेस एवं एफ, जी,एच, इत्यादि वर्ग के कॉलोनियों में रहने वाले 12,64,293 परिवारों की सम्मिलित किया गया, जिसमें से 5,74,428 परिवारों को गरीब एवं जरुरतमंद परिवार के रुप में वर्गीकृत किया गया।

कुल वर्गीकृत 5,74,428 परिवारों में से वैसे परिवार जो दिल्ली सरकार के जनवितरण प्रणली (पीडीएस) के किसी भी कार्यक्रम के द्वारा लाभान्वित नहीं हो रहे हैं उनको खादय संभरण विभाग एवं मिशन कनवरजेंस (सामाजिक सुविधा संगम)द्वारा संयुक्त रुप से पहचान किया जा रहा है। इसके बाद उन परिवारों के वरिष्ठतम महिला सदस्य के बैंक खाते में अप्रैल 2012 से 600 रु. प्रति माह के हिसाब से धनराशि सीधे अन्तरित की जाएगी।

15 दिसंबर 2012 को लगभग 15000 परिवारों के खातें में धनराशि अन्तरित करने का लक्ष्य रखा गया है।

(ख) अन्नश्री योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान की प्रकिया जारी है। अत: अभी उनकी सूची मुहैया नहीं कराई जा सकती।

(ग) बीपीएल एवं एएवाई-3,65,099।

(घ) ये सत्य नहीं है। शेष उपर्युक्त क के अनुसार।

(ड़) सरकार द्वारा उचित दर दुकानों पर राशन बांटने का कार्य जारी है और अन्नश्री योजना में उनकी कोई भूमिका नहीं है। फर्जी राशन कार्ड का जैसे ही संज्ञान में आता है तो विभाग द्वारा तुरंत कार्यवाही की जाएगी।

57. श्री विपिन शर्मा: क्या ऊर्जा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के आदेशानुसार बी.पी.एल.कार्ड धारियों को खाना पकाने की गैस सिलेंडर तथा अन्य साज सामाज सरकार द्वारा उपलब्ध कराने हेतु आज कल खादय विभाग में बी.पी.एल. कार्डधारियों का पंजीकरण किया जा रहा है,

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि बी.पी.एल. कार्ड धारकों को सर्कल नं. 64 के कर्मचारियों द्वारा अधिकतर कार्डधारियों को यह बताकर परेशान किया जा रहा है चूंकि कम्प्यूटर में उनके बीपीएल कार्डो का कोई विवरण नहीं है,

(ग) यदि यह सत्य है तो मंत्री महोदय राशन कार्ड तो खादय विभाग द्वारा बनाए गए, फिर कम्प्यूटर में उनके कार्डो का कोई विवरण न होने का क्या कारण है,

(घ) महोदय इस त्रुटिपूर्ण कृत्य को कोई ठीक करके बीपीएल कार्ड धारियों को गैस की सुविधाएं कैसे उपलब्ध कराई जाएगी, विस्तार से बताया जाए।

ऊर्जा मंत्री जी:

(क) जी हां।

(ख, ग एवं घ) इस तरह के 115 कार्डधारियों के मामले अभी तक प्रकाश में आएं हैं और उनमें से 15 कार्डधारियों का विवरण कम्प्यूटर में डाला जा चुका है और वह अब चालू हैं उनको भी इस कैरोसीन फ्री दिल्ली के अंतर्गत इस सुविधा का लाभ दिया जाएगा और अन्य 100 कार्डधारियों का विवरण जांच करने के उपरांत उनका निपटारा किया जाएगा। जिनकी प्रक्रिया जारी है। जिसका विवरण निम्नलिखित है:-

बीपीएल/एएवाई	इनएक्टिव श्रेणी	संख्या-73
बीपीएल/एएवाई	000 श्रेणी	संख्या-42

जिन कार्डो का विवरण कम्प्यूटर में डाल दिया गया है और चालू कर दिया गया है।

बीपीएल/एएवाई	इनएक्टिव श्रेणी	संख्या-13
बीपीएल/एएवाई	000 श्रेणी	संख्या-02

58. श्री मतीन अहमदः क्या ऊर्जा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) दिल्ली में बीपीएल कार्डो की गिनती कितनी हैं,

(ख) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली में बीपीएल कार्ड खत्म किए जा रहें हैं,

(ग) यदि हां, तो आगे उनकी क्या स्थिति रहेगी, क्या उनको राशन व मिट्टी का तेल मिलेगा?

ऊर्जा मंत्री जीः

(क) 3,65,099

(ख) जी नहीं।

(ग) उपरोक्त ख के अनुसार लागू नहीं है।

59. श्री सुरेन्द्र पाल सिंहः क्या ऊर्जा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली को केरोसीन फ्री बनाने की योजना के चलते तिमारपुर विधानसभा क्षेत्र में कुछ झुग्गी बस्ती है जिनमें रहने वालों के राशन कार्डो में घर लिखा है परंतु वह पूर्णतः झुग्गी बस्तीर क्षेत्र हैं, (उदाहरणतः संजय कैम्प, इन्द्रा बस्ती, मलिकपुर झुग्गी, नन्द लाल झुग्गी कैम्प, इत्यादि) परंतु घर लिखे होने के कारण उन्हें केरीसीन फ्री दिल्ली योजना का लाभ नहीं मिल रहा है,

(ख) क्या यह भी सत्य है कि बहुत से झुग्गी वालों के पास वास्तव में गैस कनेक्शन नहीं है, परंतु उनके राशन कार्डो में गैस उपभोक्ता लिखा है, जिस कारण उन्हें भी इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं हो रहा है,

(ग) क्या यह भी सत्य है कि बहुत से सामान्य श्रेणी एपीएल के कार्डधारक भी हैं, जिनकी माली हालत खराब है, और उनके पास भी गैस कनेक्शन नहीं है और वो मिट्टी का तेल ले रहें है, परंतु राशन कार्ड में गैस और सामान्य लिखा होने के कारण उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, और

(घ) यदि हां, तो इन सब विसंगतियों को कब तक दूर कर दिया जाएगा?

ऊर्जा मंत्री जी:

(क) कैरोसीन फ्री दिल्ली का लाभ बीपीएल/एएवाई/जेआरसी कार्डधारियों को दिया जा रहा है जो मिट्टी का तेल लेते हैं।

(ख) अभी हाल में ऐसी कुछ शिकायतें विभाग को प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों पर विचार किया जा रहा है। जांच के पश्चात ऐसे कार्डधारकों को गैस कनेक्शन की सुविधा दी जा सकेगी।

(ग) जी नहीं सामान्य श्रेणी के एपीएल कार्डधारकों को मिट्टी का तेल नहीं दिया जाता है।

(घ) उपर्युक्त क, ख एवं ग के अनुसार

60. श्री जय भगवान अग्रवाल: क्या ऊर्जा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) सर्कल नं. 13 रोहिणी में कुल कितने एपीएल/बीपीएल एवं अंत्योदय राशन कार्ड बने हुए हैं,

(ख) जो बीपीएल राशन कार्ड बने हुए हैं, उनमें कितने राशन कार्डो पर उपभोक्ता को खादय सामग्री मिलती है,

(ग) जिन बीपीएल राशन कार्डो पर खादय सामग्री नहीं मिलती है उसके क्या कारण है,

(घ) क्या जिन बीपीएल राशन कार्डधारियों को खादय सामग्री नहीं मिलती है उनको खादय सामग्री दिलवाने की सरकार की कोई योजना है, और

(ड़) यदि हां, तो वह क्या है और कब तक क्रियान्वित हो जाएगी?

ऊर्जा मंत्री जी:

(क) मंडल-13 में कुल कार्ड संख्या निम्न प्रकार है: एएवाई-1060, बीपीएल-1522, एपीएल (जेआरसी)-139, (आरसीआरस)-2, एवं एपीएल (स्टाम्पड)-10539

(ख) सभी 1522 बीपीएल कार्डो पर राशन सामग्री मिलती हैं।

(ग, घ एवं ड़) उपर्युक्त क एवं ख के अनुसार।

61. डॉ. हर्षवर्धन: क्या ऊर्जा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दिल्ली की वास्तविक जनसंख्या के आधार पर राशन कार्ड बनाए गए हैं,

(ख) दिल्ली में कितने राशन कार्ड आज तक बनाए गए हैं और उनकी क्या-क्या केटेगरी हैं और क्या आधार कार्ड जिनके बनाए गए हैं उनके राशन कार्ड बनाने की कोई योजना है,

(ग) क्या दिल्ली सरकार द्वारा राशन के बदले कैश सब्सिडी दिए जाने की कोई योजना है, यदि हां तो कैश सब्सिडी किन लोगों को दी जाएगी, उसका चयन कैसे किया गया है और सरकार ने इसके लिए कितने धन का प्रावधान किया है

(घ) क्या कैश सब्सिडी बीपीएल, एएवाई के लिए भी है?

ऊर्जा मंत्री जी:

(क) जी नहीं।

(ख) बीपीएल-262056, एएवाई-103043, एपीएल (जेआरसी-40456, आरसीआरसी-221206, एपीएल (अनस्टैम्पड)-1585050, एपीएल (स्टैम्पड)-1153286। दिल्ली का कोई भी नागरिक राशन कार्ड बनवा सकता है चाहे उसके पास आधार कार्ड हो या न हो।

(ग एवं घ) दिल्ली सरकार द्वारा राशन के बदले कैश सब्सिडी दिए जाने की योजना विचाराधीन हैं।

62. श्री नसीब सिंह: क्या शहरी विकास मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) शाहदरा साउथ जोन में कैटरिंग वैन के कितने लाईसेंस हैं और किस-किस स्थान पर वह वैन खडी है; और

(ख) बिना लाईसेंस के जो वैन खड़ी है वह कितनी है और उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई, पूर्ण विवरण सहित सूची उपलब्ध करवाई जाए?

शहरी विकास मंत्री जी:

(क) शाहदरा दक्षिणी क्षेत्र में सभी लाईसेंस शुदा कैटरिंग वैंन अब शेफ कार्ट में परिवर्तित हो गई है और वर्तमान में आठ शेफ कार्ट लाईसेंस शुदा है जिनकी सूची संलग्न है।

एक शेफ कार्ट जो अपोजिट आन्नद लोक अपार्टमेंट में खड़ी होती है उसका लाईसैंस रद्द कर दिया गया है, और दिल्ली हाई कोर्ट में केस विचाराधीन है।

(ख) दिनांक 01.04.2012 से अब तक बिना लाईसेंस की अब तक 11 शेफ कार्ट जब्त करके नियमानुसार कार्यवाही की गई। जब्त की गई शेफ कार्ट का विवरण इस प्रकार है:-

26.05.2012-एक शेफ कार्ट-स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर

02.06.2012-एक शेफ कार्ट-ललिता पार्क लक्ष्मी नगर

11.06.2012-एक शेफ कार्ट-वसुंधरा इन्कलेव

14.06.2012-एक शेफ कार्ट- कृष्णा नगर

26.06.2012-एक शेफ कार्ट-क्रास रिवर माल के पास

23.10.2012-चार शेफ कार्ट-सी.बी.डी. ग्राउड (2)

आई.पी.एक्स.(1) तथा स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर (1)

21.11.2012-दो शेफ कार्ट-स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर ललिता पार्क लक्ष्मी नगर

क्रम संख्या	*ट्रेडर का नाम व पता*	*स्वीकृत अबटित स्थान*
(1)	श्रीमती इंद्रा आर्य, 49 श्याम एन्क्लेव I.P. एक्सटेंशन, दिल्ली	Beyond 200 meter away from Road No.58 towards CBD Ground.
(2)	श्री राजेन्द्र सिंह, B-87, एम आई जी फ्लैटस, ईस्ट ऑफ लोनी रोड, दिल्ली।	मंगलम मार्ग, पसरेलवे आरक्षण भवन Institutional Area, कडकडडूमा, दिल्ली

(3)	श्री अनुज भारद्वाज, A-16/5, चेतराम गली, मोजपुर दिल्ली	Balco Society front Martket, Patpar Ganj
(4)	श्री अनिल कुमार सूद, 76, नेशनल पार्क, लाजपत नगर, दिल्ली	Opp, DDA Land Near Amar Jyoti School, Har Govind Enclave.
(5)	श्री गौतम सिंह, 39-B, Pkt 3, मयूर विहार, फेज ।।।, दिल्ली	Infront of Pratap Ngr. Bhagaywan Society, Acharya Naketan, Mayur Vihar, Phase 1 Delhi.
(6)	श्रीमती एलविन्ना विल्लियम, 426, Pkt, B-5 सेक्टर 15, रोहिणी, दिल्ली	In front of Fine Home Apptt., Acharaya Niketan, Mayur Vihar Phase.
(7)	श्री मती निशा कपूर B-23, GTK रोड़, ईडस्ट्रियल एरिया दिल्ली	महाराजा सूरजमल पार्क, गेट नबंर 5 दिल्ली
(8)	श्रीमती रवला, H. No. 44, गली न.6, संत नगर, दिल्ली	अपोजिट आदित्य आर्केड विल्डिंग, पास महावीर स्वामी पार्क, आवार्थ नागराज मार्ग, प्रीत विहार

63. श्री सतप्रकाश राणा: क्या ऊर्जा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) बिजवासन विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने बीपीएल व एपीएल कार्ड हैं, नाम व पते सहित इनकी पूरी जानकारी क्या है,

(ख) इसमें से कितने लोगों ने अब तक गैस कनेक्शन प्राप्त करने के लिए आवेदन कर दिया हैं और इनमें से कितने लोगों को गैस कनेक्शन दिया जाएगा,

(ग) यदि जिस पते पर राशन कार्ड बना हुआ है, उक्त पते पर परिवार के किसी सदस्य

के नाम पहले से गैस कनेक्शन है तो क्या उस राशन कार्ड पर गैस कनेक्शन दिया जाएगा या नहीं, और

(घ) यदि नहीं, तो उक्त राशन कार्डधारी इसके लिए क्या कर सकता है जिससे कि गैस कनेक्शन मिल सके?

ऊर्जा मंत्री जी:

(क) बिजवासन विधान सभा क्षेत्र में बीपीएल-6459, एएवाई-2146, एपीएल (स्टैम्पड)-18517, एपीएल (जेआरसी)-372 एवं एपीएल (अनस्टैम्पड) 31676 राशनकार्ड हैं। (सीडी संलग्न है।)

(ख) दिनांक 05.12.2012 तक 1848 लोगों ने आवेदन किया है और जो औपचारिकता पूरी करेंगे उन्हीं को कनेक्शन दिया जाएगा।

(ग) जी नहीं।

(घ) परिवार में एक व्यक्ति को केवल एक ही गैस कनेक्शन दिया जाएगा।

64. श्री सतप्रकाश राणा: क्या ऊर्जा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) दिल्ली में वर्तमान में कुल कितने सफेद राशन कार्डधारी हैं जिनको राशन नहीं मिल रहा है,

(ख) क्या अन्नश्री योजना के अंतर्गत पहले ऐसे परिवारों को सम्मिलित नहीं किया जाना था जोकि पिछले कई वर्षो से राशनकार्ड होने के बावजूद राशन से वंचित हैं,

(ग) क्या सरकार उक्त राशन कार्ड धारियों को राशन देने या अन्नश्री योजना में सम्मिलित करने का विचार कर रही है, और

(घ) यदि हां, तो पूरी योजना क्या है और कब तक इन राशन कार्ड धारियों को लाभ प्राप्त होगा?

ऊर्जा मंत्री जी:

(क) ऐसे कुल सफेद राशन कार्डो की संख्या 15,85,050 है।

(ख ग एवं घ) दिल्ली अन्नश्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे अत्यंत गरीब परिवार जो दिल्ली सरकार के जनवितरण प्रणाली (पीडीएस) के किसी भी कार्यक्रम के द्वारा लाभान्वित नहीं हो रहें है उनको रुपये 600/- प्रतिमाह नकद खादय सहायता प्रदान की जाएगी। यह धनराशि परिवार की वरिष्ठतम महिला समस्य के बैंक खाते में सीधे अंतरित की जाएगी। चालू वित वर्ष के दौरान करीब 2 लाख सबसे कमजोर परिवारों को इस कार्यक्रम का लाभ पहुंचाया जाएगा। इस योजना को इस वित्त वर्ष के दौरान ही शुरु किया जाएगा।

दिल्ली सरकार के आदेश संख्या एफ.4/23/08/एआर/8562-8676/सी दिनांक 27.08.2008 के अनुसार अत्यंत गरीब लोगों को परिभाषित एवं चिन्हित करने के लिए मुख्य तीन मापदण्ड अपनाए गए-

1. भौगोलिक मापदण्ड-अधिसूचित/गैरअधिसूचित झुग्गी, होमलेस एवं एफ, जी, एच वर्ग के कॉलोनियों में रहने वाले निवासी।

2. सामाजिक मापदण्ड-महिला एवं बच्चों की प्रधानता वाले परिवार, बुजुर्ग परिवार, विकलांग परिवार एवं गंभीर रुप से बीमार परिवार।

3. पेशागत मापदंड-कूडा बीनने वाला, दैनिक मजदूर, रेहडी खोमचे वाले, साईकिल रिक्शा चालक एवं धरेलू नौकर इत्यादि।

मिशन कनवरजेंस (सामाजिक सुविधा संगम) ने सितम्बर-अक्टूबर 2008, अप्रैल-अगस्त 2009 एवं मार्च-दिसम्बर 2011 में तीन सर्वेक्षण किए। इस सर्वेक्षण में अधिसूचित/गैरअधिसूचित झुग्गी, होमलेस एवं एफ,जी,एच, इत्यादि वर्ग के कॉलोनियों में रहने वाले 12,64,293 परिवारों को सम्मिलित किया गया, जिसमें से 5,74,428 परिवारों को गरीब एवं जरुरतमंद परिवार के रुप में वर्गीकृत किया गया।

कुल वर्गीकृत 5,74,428 परिवारों में से वैसे परिवार जो दिल्ली सरकार के जनवितरण प्रणाली (पीडीएस) के किसी भी कार्यक्रम के द्वारा लाभान्वित नहीं हो रहें हैं उनको खादय संभरण विभाग एवं मिशन कनवरजेंस (सामाजिक सुविधा संगम) द्वारा संयुक्त रुप से पहचान किया जा रहा है। इसके बाद उन परिवारों के वरिष्ठतम महिला सदस्य के बैंक खाते में अप्रैल 2012 से 600 रु. प्रति माह के हिसाब से धनराशि सीधे अन्तरित की जाएगी।

15 दिसंबर 2012 को लगभग 15000 परिवारों के खाते में धनराशि अन्तरित करने का लक्ष्य रखा गया है।

65. श्री श्रीकृष्ण त्यागी : क्या ऊर्जा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) दिल्ली में कुल कितने बीपीएल कार्डधारी हैं जो राशनकार्ड पर लिखे पते पर ही निवास करते हैं और स्वयं ही राशन लेते हैं,

(ख) सरकार जरुरतमंदों के लिए नए बीपीएल कार्ड बनाना कब तक शुरु करेंगी,

(ग) सरकार की अन्नश्री योजना को एनजीओ को देने के बजाय विधायकों को क्यों नहीं दिया गया,

(घ) यदि विधायक के द्वारा किसी जरुरतमंद गरीब को इस योजना का लाभ देना हो,

जो जीआरसी सर्वे में नहीं हैं, तो इसके लिए क्या तरीका है, और

(ड़) सरकार की अन्नश्री योजना के फॉर्मो पर माननीय प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री की फोटो किस आदेश के तहत लगाई जाती है?

ऊर्जा मंत्री जी:

(क) ऐसे कुल बीपीएल कार्डधारी 3,65,099 है।

(ख) अभी इस प्रकार की कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(ग) अन्नश्री योजना में लाभार्थी के आवेदन पर क्षेत्रीय विधायक की संस्तुति ली जाती है।

(घ) अन्नश्री योजना में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है।

(ड़) आवेदन पत्र की स्वीकृति दिल्ली कैबिनेट से ली गई थी।

66. श्री जयकिशन: क्या ऊर्जा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सुलतानपुर माजरा क्षेत्र में मिट्टी तेल उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर देने शुरु कर दिए गए हैं,

(ख) यदि हां, तो अभी तक कितने उपभोक्ताओं को सिलेंडर उपलब्ध करवा दिए गए हैं, और

(ग) इस क्षेत्र के सभी उपभोक्ताओं को कब तक सिलेण्डर उपलब्ध करा दिए जाएंगे?

ऊर्जा मंत्री जी:

(क,ख एवं ग) सुलतानपुर माजरा विधानसभा क्षेत्र में दिनांक 07/12/2012 तक 1481 लोगों के आवेदन प्राप्त हुए है उनमें से 952 आवेदन पत्र गैस कम्पनियों तथा 328 गैस वितरकों के पास लम्बित हैं। आवेदन पत्रों की जैसे-जैसे प्रक्रिया पूरी होगी उसी के अनुरुप गैस कनेक्शन उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

67. श्री धर्मदेव सोलंकी: क्या ऊर्जा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बीपीएल एवं अन्य राशन कार्ड नये बनाने का कार्य पिछले कई वर्षो से बंद हैं, इसका क्या कारण है,

(ख) पालम विधानसभा क्षेत्र में बीपीएल कार्डो का एफपीएस के हिसाब से किस-किस के कितने कार्ड बने हैं, इसका पूरा विवरण क्या है,

(ग) नए बीपीएल एवं दूसरे कार्ड पर मुहर लगाने का कार्य कब तक शुरु होगा, और

(घ) पिछले 14 सालों से झुग्गी झोपडी के कार्ड नये बंद हैं, क्या उनको नया कार्ड मिलेगा?

ऊर्जा मंत्री जी:

(क) जी हां। दिल्ली में बी.पी.एल. कार्डो की संख्या, वर्तमान में भारत सरकार द्वारा, दिल्ली के लिए स्वीकृत बी.पी.एल. राशन कार्डो की संख्या के लगभग बराबर है। ए.पी.एल (अनस्टाम्पड) राशन कार्ड बनाए जा रहे है।

(ख) सूची पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) नये बीपीएल कार्ड बनाने की कोई योजना फिलहाल विचाराधीन नहीं है। नये एपीएल कार्डो पर मुहर लगाने के कार्य का मामला विचाराधीन है।

(घ) उपरोक्त कम संख्या 'ग' के अनुसार।

68. श्री साहब सिंह चौहानः क्या ऊर्जा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) वर्तमान खादय एवं संभरण विभाग द्वारा राशन एवं मिट्टी के तेल की दुकानों के माध्यम से किन-किन चीजों को कार्डधारियों को दिया जाता है,

(ख) किस-किस श्रेणी के राशन कार्डो पर खादय सामग्री एवं मिट्टी का तेल कितनी मात्रा में दिया जाता है,

(ग) उक्त वस्तुओ की दरें क्या है,

(घ) दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों के कार्डो की संख्या क्या है; और

(ड़) क्या कुछ कार्ड ऐसे भी हैं जिन पर कुछ भी वस्तुएं नहीं मिलती, यदि हां, तो उनकी वर्तमान में संख्या एवं श्रेणी क्या है?

ऊर्जा मंत्री जीः

(क) वर्तमान में खादय एवं संभरण विभाग द्वारा राशन एवं मिट्टी के तेल की दुकानों के माध्यम से निम्नलिखित साम्रगी दी जाती है।

1. गेहूं। 2. चावल।
3. चीनी। 4. मिट्टी का तेल

(ख एवं ग) खादय एवं संभरण विभाग द्वारा वर्तमान में विभिन्न श्रेणियों के राशनकार्डो पर जारी किये जा रेह राशन सामग्री की मात्रा एवं मूल्य की सूची निम्न प्रकार है-

वस्तुएं	बी.पी.एल. कार्ड		ए.पी.एल (स्टाम्पड)		ए.ए.वाई		ए.पी.एल (जे आर सी)		ए.पी.एल (आर सी आर सी)	
	मात्रा	मूल्य प्रति किलो	मात्रा	मूल्य प्रति किलो	मात्रा	मूल्य प्रति किलो	मात्रा	मूल्य प्रति किलो	मात्रा	मूल्य प्रति किलो
गेहूं	24 किलो	4.80 रु.	18 किलो	7.05 रु	25 किलो	2.00 रु	25 किलो	7.05 रु	25 किलो	7.05 रु
चावल	10 किलो	6.30 रु.	4 किलो	9.25	10 किलो	3.00 रु.	10 किलो	9.25 रु	10 किलो	9.25 रु.
चीनी	06 किलो	13.65 रु.	-	-	06 किलो	13.50 रु.	-	-	-	-
मिट्टी का तेल	12.50 ली.	14.79 रु.	-	-	12.50 ली	14.79	12.50 ली	14.79	-	-

(घ) दिनांक 06/12/2012 को दिल्ली में विभिन्न श्रेणियों के कार्डो की संख्या निम्न प्रकार है-बी.पी.एल- 262056, ए.पी.एल (स्टैम्पड)-1153286।

(ड़) जिन राशन कार्डो पर राशन नहीं जाता है उनकी संख्या 1585050 है, ये एपीएल अनस्टैम्पड की श्रेणी में आते हैं।

69. श्री साहब सिंह चौहानः क्या ऊर्जा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) अन्नश्री योजना क्या है,

(ख) इस योजना के तहत किस श्रेणी के कार्डधारियों को यह सुविधा दी जा रही है?

(ग) उक्त कार्डधारियो के चयन की प्रक्रिया व आधार क्या है, और

(घ) किस-किस विधान सभा में किन-किन कार्डधारियों को चयनित किया गया है, उनका पूर्ण ब्यौरा क्या है?

ऊर्जा मंत्री जीः

(क व ख) दिल्ली अन्नश्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे अत्यंत गरीब परिवार जो दिल्ली सरकार के जनवितरण प्रणाली (पीडीएस) के किसी भी कार्यक्रम के द्वारा लाभान्वित नहीं हो रहें हैं उनको रुपये 600/-प्रतिमाह नकद खादय सहायता प्रदान की जाएगी। यह धनराशि परिवार की वरिष्ठतम महिला सदस्य के बैक खाते में सीधे अंतरित की जाएगी। यह धनराशि परिवार की वरिष्ठतम महिला सदस्य के बैंक खाते में सीधे अंतरित की जाएगी। चालू वित वर्ष के दौरान करीब 2 लाख सबसे कमजोर परिवारों को इस कार्यक्रम का लाभ पहुंचाया जाएगा। इस योजना को इस वित्तवर्ष के दौरान की शुरु किया जाएगा।

(ग) दिल्ली सरकार के आदेश संख्या एफ 4/23/08/एआर/8562-8676/सी दिनांक 27.08.2008 के अनुसार अत्यंत गरीब लोगों को परिभाषित एवं चिन्हित करने के लिए मुख्य तीन मापदण्ड अपनाए गए-

1. *भौगोलिक मापदण्ड*-अधिसूचित/गैरअधिसूचित झुग्गी, होमलेस एवं एफ,जी,एच वर्ग के कॉलोनियों में रहने वाले निवासी।

2. *सामाजिक मापदण्ड*-महिला एवं बच्चों की प्रधानता वाले परिवार, बुजुर्ग परिवार, विकलांग परिवार एवं गंभीर रुप से बीमार परिवार।

3. *पेशागत मापदंड*-कूडा बीनने वाला, दैनिक मजदूर, रेहडी खोमचे वाले, साईकिल रिक्शा। चालक एवं घरेलू नौकर इत्यादि।

मिशन कनवरजेंस (सामाजिक सुविधा संगम) ने सितम्बर-अक्टूबर 2008, अप्रैल-अगस्त 2009 एवं मार्च-दिसम्बर 2011 में तीन सर्वेक्षण किए। इस सर्वेक्षण मे अधिसूचित/गैरअधिसूचित झुग्गी, होमलेस एवं एफ,जी,एच, इत्यादि वर्ग के कॉलोनियों में रहने वाले 12,64,293 परिवारों को सम्मिलित किया गया, जिसमें से 5,74,428 परिवारों को गरीब एवं जरुरतमंद परिवार के रुप में वर्गीकृत किया गया।

कुल वर्गीकृत 5,74,428 परिवारों में से वैसे परिवार जो दिल्ली सरकार के जनवितरण प्रणाली (पीडीएस) के किसी भी कार्यक्रम के द्वारा लाभान्वित नहीं हो रहें हैं उनको खादय संभरण विभाग एवं मिशन कनवरजेंस (सामाजिक सुविधा संगम) द्वारा संयुक्त रुप से पहचान किया जा रहा है। इसके बाद उन परिवारों के वरिष्ठतम महिला सदस्य के बैंक खाते में अप्रैल 2012 से 600 रु. प्रति माह के हिसाब से धनराशि सीधे अन्तरित की जाएगी।

15 दिसंबर 2012 को लगभग 15000 परिवारों के खातें में धनराशि अन्तरित करने का लक्ष्य रखा गया है।

(घ) उपर्युक्त (क एवं ख) के अनुसार लागू नहीं।

70. श्री वीर सिंह धींगानः क्या ऊर्जा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार अन्नश्री योजना के तरह उन गरीब लोगों के कार्ड बना रही है, जो राशन से वंचित हैं,

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में कुल कितने कार्ड अन्नश्री योजना के तहत बनाए गए हैं, और

(ग) क्या यह भी सत्य है कि जिन लोगों के पास एसीएल कार्ड पहले से ही मौजूद है तथा वे बीपीएल की श्रेणी में आते हैं, क्या उन लोगों को भी अन्नश्री योजना के कार्ड दिए जाएंगे?

ऊर्जा मंत्री जीः

(क) जी हां।

(ख) दिल्ली में अन्नश्री योजना के तहत लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया जारी है।

(ग) दिल्ली अन्नश्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे अत्यंत गरीब परिवार जो दिल्ली सरकार के जनवितरण प्रणाली (पीडीएस) के किसी भी कार्यक्रम के द्वारा लाभान्वित नहीं हो रहें हैं उनको रुपये 600/-प्रतिमाह नकद खादय सहायता प्रदान की जाएगी। यह धनराशि परिवार की वरिष्ठतम महिला सदस्य के बैक खाते में सीधे अंतरित की

जाएगी। यह धनराशि परिवार की वरिष्ठतम महिला सदस्य के बैंक खाते में सीधे अंतरित की जाएगी। चालू वित वर्ष के दौरान करीब 2 लाख सबसे कमजोर परिवारों को इस कार्यक्रम का लाभ पहुंचाया जाएगा। इस योजना को इस वित्तवर्ष के दौरान की शुरु किया जाएगा।

दिल्ली सरकार के आदेश संख्या एफ 4/23/08/एआर/8562-8676/सी दिनांक 27.08.2008 के अनुसार अत्यंत गरीब लोगों को परिभाषित एवं चिन्हित करने के लिए मुख्य तीन मापदण्ड अपनाए गए-

1. भौगोलिक मापदण्ड- अधिसूचित/गैरअधिसूचित झुग्गी, होमलेस एवं एफ,जी,एच वर्ग के कॉलोनियों में रहने वाले निवासी।

2. सामाजिक मापदण्ड-महिला एवं बच्चों की प्रधानता वाले परिवार, बुजुर्ग परिवार, विकलांग परिवार एवं गंभीर रुप से बीमार परिवार।

3. पेशागत मापदंड- कूडा बीनने वाला, दैनिक मजदूर, रेहडी खोमचे वाले, साईकिल रिक्शा। चालक एवं घरेलू नौकर इत्यादि।

मिशन कनवरजेंस (सामाजिक सुविधा संगम) ने सितम्बर-अक्टूबर 2008, अप्रैल-अगस्त 2009 एवं मार्च-दिसम्बर 2011 में तीन सर्वेक्षण किए। इस सर्वेक्षण मे अधिसूचित/गैरअधिसूचित झुग्गी, होमलेस एवं एफ,जी,एच, इत्यादि वर्ग के कॉलोनियों में रहने वाले 12,64,293 परिवारों को सम्मिलित किया गया, जिसमें से 5,74,428 परिवारों को गरीब एवं जरुरतमंद परिवार के रुप में वर्गीकृत किया गया।

कुल वर्गीकृत 5,74,428 परिवारों में से वैसे परिवार जो दिल्ली सरकार के जनवितरण प्रणाली (पीडीएस) के किसी भी कार्यक्रम के द्वारा लाभान्वित नहीं हो रहें हैं उनको खादय

संभरण विभाग एवं मिशन कनवरजेंस (सामाजिक सुविधा संगम) द्वारा संयुक्त रुप से पहचान किया जा रहा है। इसके बाद उन परिवारों के वरिष्ठतम महिला सदस्य के बैंक खाते में अप्रैल 2012 से 600 रु. प्रति माह के हिसाब से धनराशि सीधे अन्तरित की जाएगी।

15 दिसंबर 2012 को लगभग 15000 परिवारों के खातें में धनराशि अन्तरित करने का लक्ष्य रखा गया है।

71. श्री वीर सिंह धींगानः क्या उर्जा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि दिल्ली सरकार के खादय एवं संभरण विभाग में कुछ रिक्तियां भरी गई है,

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी रिक्तियां भरी गई हैं,

(ग) क्या यह भी सत्य है कि खादय एवं संभरण विभाग में बडे पैमाने पर स्टाफ की कमी है,

(घ) यदि हां, तो दिल्ली के प्रत्येक सर्किल में किन-किन पदों की कुल कितनी कमी है, और

(ड़) क्या यह भी सत्य है कि सरकार यथाशीघ्र राशन विभाग में स्टाफ की कमी को दूर करेगी, यदि हां तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं?

ऊर्जा मंत्री जीः

(क) जी हां।

(ख) रिक्तियां भरने की प्रकिया सतत एवं निरंतर रहती है।

(ग) जी हां, कुल 559 पद रिक्त है परन्तु कार्य निष्पादन के लिए 100 डाटा एन्ट्री आपरेटर नियुक्त किए गए है जो एल डी सी का कार्य कर रहे है।

(घ) सर्किल अनुसार पद स्वीकृत नहीं है, विभाग में स्वीकृत रिक्त एवं भरे हुए पदों की सूची संलग्न है।

(ड़) इस विभाग द्वारा समय-समय पर सेवा विभाग, दिल्ली सरकार को रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरने के लिए पत्र-व्यवहार किया जाता है।

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
DEPARTMENT OF FOOD SUPPLIES & CONSUMER AFFAIRS
VACANCY POSITION AS ON 1-12-2012

S.N.	*Post*	*Grade Pay*	*Sanctioned*	*Filled*	*Vacant*
1.	Secretary-cum-Commissioner (IAS)	10000	01	01	00
2.	Spl. Secretary-cum-Spl. Commissioner (DANICS)	8700	01	01	00
3.	Addl. Secretary-cum-Addl. Commissioner/ Joint commissioner (DANICS)	7600/6600	02	02	00
4.	System Analyst	6600	01	01	00
5.	Asstt. Commissioner (DANICS/ Adhoc DANICS)	5400	09	08	01
6.	Registrar (DANICS/Adhoc DANICS)	5400	01	01	00
7.	Asstt. Director (CA) (DANICS/ Adhoc DANICS)	5400	02	02	00

8.	SMIO (DANICS/Adhoc DANICS)	5400	01	00	01
9.	Accounts Officer	5400	01	00	01
10.	A.A.O	4800	02	02	00
11.	F.S.O (GR-1 DASS)	4800/5400	72	57	15
12.	Superintendent (GR-1 DASS)	4800/5400	09	03	06
13.	Civil Supply Officer (GR-1 DASS)	4800/5400	02	00	02
14.	M.I.O (GR-1 DASS)	4800/5400	01	00	01
15.	Statistical Officer	4600	02	02	00
16.	Sr. P.A	4800/5400	04	04	00
17.	Programmer (IT)	5400	04	01	03
18.	Asstt. Programmer (IT)	4200	03	02	01
19.	Inspector (GR-II DASS)	4200	273	130	143
20.	Sub-Inspector (GR-IV DASS)	1900	40	00	40
21.	Head Clerk (GR-II DASS)	4200	56	27	29
22.	U.D.C (GR-III DASS)	2400	133	77	56
23.	Steno (GR-II)	4200	14	14	00
24.	Steno (GR-III)	2400	18	11	07
25.	Legal Assistant	2400	18	11	07
26.	Statistical Assistant	4200	09	05	04
27.	L.D.C (GR-IV DASS)	1900	283	95	188
28.	Class-IV/Peon (Group 'C' Post 6th CPC)	1800/1900	177	121	56
29.	Motor Cycle Messenger	1800	05	01	04
30.	Driver	1800	15	14	01
	TOTAL		**1142**	**583**	**559**

72. श्री रमेश बिधुडी: क्या ऊर्जा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि सरकार द्वारा कैरोसिन मुक्त दिल्ली बनाने की घोषणा की है, यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि बीपीएल कार्ड धारकों को फ्री गैस कनेक्शन की आपूर्ति सरकार द्वारा करनी है, क्या यह भी सत्य है कि बहुतायत में लोगों को अभी तक गैस कनेक्शन की आपूर्ति नहीं हुई है, यदि हां, तो,

(ख) तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र में कुल कितने फ्री गैस कनेक्शन वितरित होने हैं,

(ग) कितने अभी तक वितरित हुए है,

(घ) बाकी कब तक वितरण होंगे,

(ड़) तुलगकाबाद विधानसभा क्षेत्र में फ्री गैस कनेक्शन के लिए कौन सी एजेंसियां हैं, उनके पते सहित विवरण क्या है,

(च) क्या सरकार की उन संस्थानों के विरुद्ध कोई योजना है जो गैस कनेक्शन देने में देरी के लिए जिम्मेदार हैं; और

(छ) यदि हां, तो क्या, यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

ऊर्जा मंत्री जी:

(क)से(घ) ये सत्य है कि सरकार द्वारा कैरोसिन मुक्त दिल्ली बनाने की योजना है जिसके अंतर्गत गैस कनेक्शन दिया जाता है इस योजना के अंतर्गत दिनांक 06/12/2012 तक तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्र में 2248 लोगों के आवेदन प्राप्त होने के पश्चात 53 लोगों को गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। 1214 आवेदन पत्र

गैस कम्पनी के पास तथा 980 गैस वितरक के पास लंबित पडे हैं। शेष लाभार्थियों हेतु प्रक्रिया जारी है।

(ड) एकमात्र वितरक एस एण्ड पी एण्टरप्राइजेज है जिसका पता दुकान नं.-8 अरावली शॉपिंग काम्पलेक्स, अरावली अपार्टमैंटस अलकनंदा, नई दिल्ली-19 है।

(च एवं छ) यह योजना अभी प्रारंभिक चरण में है।

73. श्री भरत सिंह: क्या ऊर्जा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दिल्ली में मिट्टी के तेल के बदले कोई राशि कार्डधारकों को देने की योजना विचाराधीन है, यदि हां, तो उसका विवरण क्या है, और

(ख) जिन क्षेत्रों में एक राशन की दुकान पर 2000 व 2500 कार्ड हो गए हैं वहां पर नई दुकान खुलवाने की क्या नीति है तथा इस प्रक्रिया में कितना समय लगता है?

ऊर्जा मंत्री जी:

(क) जी नहीं। वर्तमान में कैरोसीन मुक्त दिल्ली योजना के अंतर्गत बीपीएल, एएवाई एवं जेआरसी श्रेणी के चालू कार्डो पर फ्री गैस कनेक्शन वितरित कि जा रहे हैं तथा केश राशि देने की वर्तमान में कोई योजना नहीं हैं। कैरोसीन मुक्त दिल्ली योजना के तहत दिल्ली सरकार द्वारा लाभार्थियों को एक भरा हुआ गैस सिलिंडर, दो बर्नर चुल्हा, रेगूलेटर, सुरक्षा पाईप एवं नीली किताब मुफ्त प्रदान किया जा रहा है।

(ख) वर्तमान समय में राशन की दुकानों पर 1000 कार्ड से अधिक होने पर इनका कार्डधारियों की सुविधा के अनुसार रेशनाईजलेशन कर दिया जाता है। यदि फिर भी किसी दुकान पर कार्डो की संख्या 1000 से अधिक रहती है तो उस क्षेत्र में

नई दुकान खोलने की अधिसूचना जारी की जाती है। अधिसूचना जारी होने के तीन माह के अंदर नई दुकान का आबंटन कर दिया जाता है।

74. श्री अनिल झा: क्या ऊर्जा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) किराडी विधानसभा में कुल कितने लाल कार्ड धारी नामित हैं, लाल कार्ड बीपीएल कार्डधारक को कितना अनाज और तेल उपलब्ध करवाया जाता है?

(ख) किराडी विधानसभा में कितने लोगों को बीपीएल कार्ड धारक गैस कनेक्शन उपलब्ध करवाया गया है? विस्तृत विवरण देने का कष्ट करें,

(ग) अन्नश्री योजना में किन एजेंसी के माध्यम से उपयुक्त धारक का चयन किया गया, उसकी पात्रता क्या थी? क्या यह सुनिश्चित किया गया है कि जिन परिवारों या नागरिक को अन्नश्री का लाभ मिल रहा है वह उसके योग्य है या नहीं? अन्नश्री योजना हेतु जिस एजेंसी को कार्य दिया गया उसका सर्वे करने हेतु क्या काई और आधार था? विस्तृत ब्यौरा देने का कष्ट करें, और

(घ) किराडी विधानसभा क्षेत्र में नए राशन की दुकानें खोलने हेतु पिछले तीन वर्षो में क्या-क्या कदम उठाए गए, नए राशन की दुकानें हेतु विभाग कि उदासीनता का कारण क्या है?

ऊर्जा मंत्री जी:

(क) किराडी विधानसभा में 1197 लाल कार्ड धारी नामित है। लाल कार्ड बीपीएल कार्डधारक को दिल्ली सरकार द्वारा निम्नलिखित मात्रा एवं मुल्य पर अनाज और तेल उपलब्ध करवाया जाता है-

वस्तुएं	*मात्रा*	*मुल्य (प्रति किलो/लीटर)*
गेहूं	25 किलो	02:00 रुपये
चावल	10 किलो	03:00 रुपये
चीनी	06 किलो	13:50 रुपये
मिट्टी का तेल	12:50 लीटर	14:79 रुपये

(ख) अभी केवल गैस के आवेदन ही लिए जा रहे है अभी किसी को गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं करवाया गया है।

(ग) दिल्ली सरकार के आदेश संख्या एफ 4/23/08/एआर/8562-8676/सी दिनांक 27.08.2008 के अनुसार अत्यंत गरीब लोगों को परिभाषित एवं चिन्हित करने के लिए मुख्य तीन मापदण्ड अपनाए गए-

1. भौगोलिक मापदण्ड- अधिसूचित/गैरअधिसूचित झुग्गी, होमलेस एवं एफ,जी,एच वर्ग के कॉलोनियों में रहने वाले निवासी।

2. सामाजिक मापदण्ड-महिला एवं बच्चों की प्रधानता वाले परिवार, बुजुर्ग परिवार, विकलांग परिवार एवं गंभीर रुप से बीमार परिवार।

3. पेशागत मापदंड- कूडा बीनने वाला, दैनिक मजदूर, रेहडी खोमचे वाले, साईकिल रिक्शा। चालक एवं घरेलू नौकर इत्यादि।

मिशन कनवरजेंस (सामाजिक सुविधा संगम) ने सितम्बर-अक्टूबर 2008, अप्रैल-अगस्त 2009 एवं मार्च-दिसम्बर 2011 में तीन सर्वेक्षण किए। इस सर्वेक्षण मे अधिसूचित/

गैरअधिसूचित झुग्गी, होमलेस एवं एफ,जी,एच, इत्यादि वर्ग के कॉलोनियों में रहने वाले 12,64,293 परिवारों को सम्मिलित किया गया, जिसमें से 5,74,428 परिवारों को गरीब एवं जरुरतमंद परिवार के रुप में वर्गीकृत किया गया।

कुल वर्गीकृत 5,74,428 परिवारों में से वैसे परिवार जो दिल्ली सरकार के जनवितरण प्रणाली (पीडीएस) के किसी भी कार्यक्रम के द्वारा लाभान्वित नहीं हो रहें हैं उनको खादय संभरण विभाग एवं मिशन कनवरजेंस (सामाजिक सुविधा संगम) द्वारा संयुक्त रुप से पहचान किया जा रहा है। इसके बाद उन परिवारों के वरिष्ठतम महिला सदस्य के बैंक खाते में अप्रैल 2012 से 600 रु. प्रति माह के हिसाब से धनराशि सीधे अन्तरित की जाएगी।

15 दिसंबर 2012 को लगभग 15000 परिवारों के खातें में धनराशि अन्तरित करने का लक्ष्य रखा गया है।

(घ) किराडी विधानसभा में 06 नई राशन की दुकानें खोलने हेतु अनुमोदन हो चुका है जिसे शीघ्र ही अधिसूचित कर दिया जाएगा।

75. श्री जय किशनः क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि सुल्तान पुरी और मंगोल पुरी के बीच स्थिति सप्लीमेंट्री ड्रेन पर पुल बनाने की योजना थी,

(ख) यदि हां, तो इसका निर्माण कब से शुरु होगा, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

स्वास्थ्य मंत्री जी:

(क) जी हां, यह सत्य है। सुल्तानपुरी और मंगोल पुरी के बीच स्थित सप्लीमेंट्री ड्रेन की आर.डी. 21000 मी. पर पुल बनाने की योजना है। इस पुल को बनाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय मंजूरी प्राप्त हो गयी थी।

(ख) नए प्रस्तावित पुल के साथ वाले मच्छी बाजार के पास स्थित आर.डी. 21260 मी. में पुल के पियर कैप्स में हल्की दरार आने के कारण इस पर केवल हल्के वाहन ही चलाए जा रहे हैं। इस पुल में दरार आने के कारणों की जांच केंद्रीय सडक अनुसंधान संस्थान (सी.आर.आर.आई) द्वारा की जा चुकी है अत: इस पुल के सुदृढीकरण का कार्य जल्दी ही शुरु किया जाएगा तथा कार्य को वर्ष 2013-14 में पुरा करने का लक्ष्य है। इस पुल के सुदृढीकरण का कार्य होने के उपरांत आर.डी. 21000 मी. पर बने पुल का पुनर्निर्माण कार्य शुरु किया जाएगा, क्योंकि वर्तमान में आर.डी. 2100 मी. पर बना पुराना पुल ट्रैफिक डायवर्जन के उपयोग में लाया जा रहा है।

(ग) उपरोक्तानुसार।

76. श्री धर्मदेव सोलंकी: क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि पालम विधानसभा क्षेत्र में तीन बडे नाले, एक पंखा रोड एवं दूसरा कैंट से सागरपुर, विकासपुरी, दशरथपुरी, विनय एन्कलेव होता हुआ एवं तीसरा पालम रेलवे लाइन से पालम मेन बाजार महावी एन्कलेव होता हुआ नंदा ब्लाक तक गंदे नाले से जुडा हुआ है,

(ख) क्या यह भी सत्य है कि एक खुला नाला, पंखा रोड के साथ, को कवर करके रोड बनाया जा रहा है,

(ग) यदि हां, तो क्या बचे हुए दोनों बडे नालों को कवर करने की कोई योजना है, और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों?

स्वास्थ्य मंत्री जी:

(क) जी हां, यह सत्य है।

(ख) जी हां, यह सत्य है। नाले के कुछ हिस्से (लम्बाई) को कवर करके सडक बनाने का कार्य एम.सी.डी. द्वारा किया जा रहा है।

(ग) माननीय उपराज्यपाल महोदय के पत्र दिनांक 09.02.2010 के आदेशानुसार किसी भी नाले को कवर करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।

(घ) उपरोक्तानुसार।

77. श्री ओ.पी. बब्बर: क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि नजफगढ नाले के दाई और स्थित रघुबीर नगर पुल से बाहरी रिंग रोड की और जाने वाली सड़क की मरम्मत की जा रही थी और इस सडक पर सधन कारपेटिंग भी की जानी थी,

(ख) यदि हां, तो इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा,

(ग) चूंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण लिंक है, इसलिए रात्रि में साफ देखने के लिए यहां रोड लाइटस की अत्यंत आवश्यकता है, और

(घ) इस महत्वपूर्ण लिंक पर रोड लाइट कब तक लगवा दी जाएंगी?

स्वास्थ्य मंत्री जी:

(क) जी हां, यह सत्य है।

(ख) इस कार्य को दो माह में पूरा करने का लक्ष्य है।

(ग) सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण विभाग में लाइट लगाने की कोई योजना विधाराधीन नहीं है, क्योंकि सडकों पर लाइट लगाने का कार्य विभाग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है।

(घ) उपरोक्तानुसार।

78. श्री मोहन सिंह बिष्ट: क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) करावल नगर विधानसभा के अंतर्गत विकास कार्यो हेतु यमुना पार विकास बोर्ड द्वारा किन-किन योजनाओं को स्वीकृति दी गई थी तथा कब दी गई थी, पूरा विवरण दें।

(ख) क्या यह भी सत्य है कि विभागीय अधिकारियों की निष्कृयता के कारण आज दिन तक इन योजनाओं पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है,

(ग) यदि हां तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इन्हें कब तक पूरा कर दिया जायेगा?

स्वास्थ्य मंत्री जी:

(क) यमुना विकास बोर्ड की 50 वीं बैठक जो दिनांक 26.06.12 को संपन्न हुई थी उसके अन्तर्गत करवाल नगर विधान सभा क्षेत्र में आने वाली कुल आठ योजनाओं की स्वीकृति दी गई थी। जिनका विवरण सूची पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) जी नहीं, यह सत्य नहीं है।

(ग) कुल आठ योजनाओं में से 06 योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, जिनके एस्टीमेट स्वीकृति करने के बाद निविदाये आमंत्रित कर ये कार्य आरंभ किये जायेंगे। शेष 02 योजनाओं में से एक योजना कोर्ट केस की वजह से स्वीकृत नहीं की गयी तथा एक योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु अभी विस्तृत जांच की जा रही है।

(घ) जिन 06 योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। उनको पूरा करने का लक्ष्य सूची क में दर्शाया गया है।

79. श्री मोहन सिंह बिष्टः क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि करावल नगर विधान सभा के अनतर्गत सिंचाई एवं बाढ नियंत्रण विभाग द्वारा विकास कार्य करने हेतू टेंडर लागने के लिये चिन्हित किया गया है,

(ख) यदि हां तो ऐसी कुल कितनी योजनायें बनाई गई व किस-किस कालोनी की है, पूरा विवरण दें,

(ग) इन योजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब के क्या कारण है, तथा

(घ) यहां विकास कार्य कब तक शुरु कर दिये जायेंगे?

स्वास्थ्य मंत्री जीः

(क) जी हां, यह सत्य है।

(ख) योजनाओं का पूर्ण विवरण सूची क में संलग्न है।

(ग) कुल 30 योजनाओं में से 6 योजनाओं का कार्य पूर्ण किया चुका है, 12 कार्य प्रगति पर है, 01 कार्य जिसमें 40 प्रतिशत पूरा हो चुका है। अभी कोर्ट स्टे के आदेश पर रुका हुआ है तथा 8 योजनाएं जिनकी वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, इन योजनाओं के एस्टीमेंट स्वीकृत होने के बाद जल्द ही निविदायें आमंत्रित की जायेगी। शेष 3 योजनाओं में से एक योजना की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति कोर्ट केस की वजह से नहीं दी गई व दो योजनाओं की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु जांच की जा रही है।

(घ) जिन योजनाओं की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी हैं, उनकी निविदाये आमंत्रित करने के पश्चात कार्य शुरु कर दिये जायेंगे।

LIST OF SCHIEME OF KARAWAL NAGAR CONSTITUENCY

M.L.A. MOHAN SINGH BISTH Question no.79

S.No.	Name of Scheme	Estimate Cost	Likely Dated of Completion	Present Status
1.	Beautification of shank at RD. 1950m of L.F. Bound adjoining Sonia Vihar (TYADB)	56.00	07.11.13	Work in progress
2.	Improvement of Sabhapur road and construction of side drain joining L.F Bund and S.M Bund after demolishing existing drain (TYADB)	137.76	01.03.13	Work in progress
3.	Beautification of shank at RD. 5222m of L.M Bound (TYADB)	26.00	13.02.13	Work in progress
4.	Development of street pavement and side drain from street No. 12 to 21 of Shaheed Bhagat Singh Colony in Karawal Nagar Constituency	51.95	03.08.12	Work completed
5.	Improvement of Sadatpur and its side drains from RD. 2500m to RD. 3165m in Karawal Nagar Constituency	128.24	05.12.11	Work completed

6.	Development of street pavement side drains in A-B Block of Paschim Karawal Nagar in Karawal Nagar Constituency	84.37	10.10.11	Work Completed
7.	Development of street pavement and side drains of left out street between No. 1 to street No.23 of Shaheed Bhagat Singh Colony in karawal Nagar	116.84	28.10.11	Work Completed
8.	Restoration of road and construction of side drains os Kamal Vihar externsion in Karawal Nagar Constituency	95.05	10.09.12	Work in Progress
9.	Development of street pavement and side drains in left out galis and cuts of Karawal Nagar extension of Karawal Nagar Constituency	184.02	06.05.13	Work in Progress
10.	Development of street pavement and side drains in Mukund Vihar of Karawal Nagar Constituency	194.05	15.01.13	Work in progress
11.	Development of street pavement and side drains in West Sadatpur extension of Karawal Nagar Constituency	141.60	15.02.13	Work in progress
12.	Construction of single storey Panchayat Ghar in village Badarpur Khadar in Shahdra Block Distt. North East	144.76	12.03.13	Work in progress

13.	Construction of RCC box culvert at RD. 2180m of relief drain from ramp and road to Sania Vihar colony along CRPF boundary wall.	68.00	29.10.11	Work in progress
14.	Construction of Dhalao near RD. 2400m of bond drain in Karawal Nagar Constituency.	36.87	31.03.13	Work in progress
15.	Construction of RCC culvert near RD. 1900m of Karawal Nagar drain for joining Kamal Vihar and Ankur Vihar	54.00	25.12.12	Work in progress
16.	Construction of foot-over bridge cross the 2 No. DJB pipe lines at RD. 2770m of escape drain No. 1 and development of left bank between RD 2770 and RD. 2975m	24.12	19.01.13	Work in progress
17.	Supplying and fixing of swaged pole on L/B of Karawal Nagar drain from RD. 0m to R.D. 1720m	30.85	30.11.12	Work completed on Labour contract
18.	Construction of one no Kitchen and Electrification of double storey chaupal at village Tukhmirpur in Karawal Nagar Constituency	7.25	30.12.12	Work in progress
19.	Demolishing and reconstruction of Harijan Chaupal at village Khajuri Khas in Karawal Nagar A.C.70	37.50	15.03.13	Work in progress

20.	Improvement of Chauhan patti village road connecting of L.F. Bund to Sabhapur village road	89.02	30.04.13	A/A & E/S received on 09.11.12
21.	Improvement of link road from RD 3800m to main road Sabhapur village and road from Hanuman Temple to main road via K.D. School L/C construction of side drain at Sabhapur extension Delhi.	84.90	15.06.13	A/S & E/S received on 19.11.12
22.	Beautification of Shank at RD. 800m of L.F Bund adjoining Sonia Vihar	108.00	30.07.13	A/A & E/S received on 30.11.12
23.	Development of street pavement and side drain F-Block Kajuri Khas in Karawal Nagar A.C	124.15	31.03.13	A/A & E/S received on 30.11.12
24.	Construction of foot bridge for crossing the DJB Lines at RD. 60m of escape drain No.1	42.49	30.08.13	A/A & E/S received
25.	Construction of road and retaining wall on L/S bank of escape drain No. 1 from RD. 2230m to RD. 2580m	242.41	-	A/A & E/S pending due to administrative and expenditure scrutiny
26.	Construction of Dhalao on R/B of Karawal Nagar drain in the U/s of Shiv ViharPuliya near RD.350m	59.42	15.10.13	A/A & E/S received
27.	Construction of double storey chaupal at village Sherpur in Karawal Nagar Constituency.	124.08	31.03.13	A/A & E/S received

28.	Demolishing of domaged R.R masonary wall and construction of 1metre high brick wall on river side on top edge of L.f. Bund between RD. 0m to RD. 5750m	128.00	30.09.13	A/A & E/S received on 19.11.12
29.	Development of street pavement and sede drains in Kamal Vihar colony in Karawal Nagar Constituency	166.00	-	A/A & E/S pending due to administrative and expenditure scrutiny
30.	Improvement of Sabhapur road connecting to RD. 3300m of L.F Bund to Sabhapur village road	127.26	-	A/A & E/S pending due to court case

80. श्री ओ.पी बब्बर: क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि आई टी आई बिल्डिंग, तिलक नगर, नई दिल्ली-18 में विभिन्न कार्य करने हेतु रु. 24,10,500 का आबंटन किया गया था यद्यपि रु. 16,22,200 खर्च हो चुके हैं परंतु अभी भी रु. 7,88,300 का उपयोग किया जाना बाकी है;

(ख) इस आबंटित राशि को बचे हुए आवश्यक कार्यों के लिए उपयोग करने में कितना समय लगेगा;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि कम्प्यूटर, टैक्सटाइल डिजाइनिंग के कमरों के फर्श के रख रखाव एवं भवन की सामान्य मरम्मत/रखरखाव के लिए लागत का अनुमान लगाया गया था;

(घ) इस कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ड़) क्या यह भी सत्य है कि आई टी आई की इस जर्जर इमारत के स्थान पर एक स्थाई इमारत बनाने एवं इमारत में दुमंजिला एस पी एस प्रदान करने का प्रस्ताव लाया गया था; और

(च) यदि हाँ, तो इस की वर्तमान स्थिति क्या है?

स्वास्थ्य मंत्री जी:

(क) जी हां, शेष राशि 7,88,300 के कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग से पत्र व्यवहार चल रहा है तथा लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर संबंधित शेष कार्य का निरीक्षण कर चुके हैं।

(ख) इस कार्य को शीघ्रातिशीघ्र पूरा करने के लिए लोक निर्माण विभाग को अनुरोध किया जा चुका है।

(ग) कम्प्यूटर, टैक्सटाइल डिजाइनिंग के कमरों के फर्श के रख रखाव एवं भवन की सामान्य मरम्मत/रखरखाव से संबंधित कार्य का निरीक्षण लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर कर चुके हैं तथा संबंधित विभाग से आश्वासन मिला है कि वे इसकी लागत का अनुमान शीघ्रातिशीघ्र भेज देंगे।

(घ) उपरोक्तानुसार।

(ड़) लोक निर्माण विभाग को यह आवेदन किया गया है कि वह एस पी एस के लिए इस संस्थान का निरीक्षण करें और लागत का अनुमान भेजें।

(च) उपरोक्तानुसार।

81. श्री श्री कृष्ण त्यागी: क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि अगर ग्राम सभा की जमीन उपलब्ध हो तो सरकार कोई इंजीनियरिंग कॉलेज खोल सकती है; और

(ख) इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के लिए क्या-क्या कार्यवाही जरुरी है?

स्वास्थ्य मंत्री जी:

(क) जी हां, बशर्ते कि जमीन की उपयोगिता की स्वीकृति दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्राप्त हो।

(ख) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ए.आई.सी.टी.ई.) के दिशा निर्देशों के

अनुसार तथा परियोजना के दिल्ली सरकार द्वारा अनुमोदन के पश्चात ही दिल्ली में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला जा सकता है।

82. श्री ओ.पी. बब्बर: क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि नन्द नगरी आई.टी.आई के परिसर में अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त तकनीकी शिक्षा केन्द्र कब तक खोला जाएगा;

(ग) क्या यह भी सत्य है कि उक्त केन्द्र को खोलने के लिए भवन निर्माण कार्य समय पर शुरु नहीं किया गया;

(घ) यदि हां तो इसके क्या कारण है;

(ड़) क्या यह भी सत्य है कि सरकार शीघ्र उक्त प्रशिक्षण तकनीकी शिक्षा केन्द्र को शीघ्र खुलवाने का प्रयास कर रही है; और

(च) यदि हां, तो अब तक की कार्रवाई से अवगत करवाया जाए?

स्वास्थ्य मंत्री जी:

(क) जी हां।

(ख) पी.डब्लू.डी के द्वारा भवन निर्माण का कार्य सम्पूर्ण होने के पश्चात तकनीकी संस्थान को संक्रियात्मक कर दिया जाएगा।

(ग) जी हां।

(घ) केन्द्र द्वारा प्रयोजित (सी.एस.एस), परियोजना को बहुक्षेत्रीय विकास योजना (एम.एस.डी.पी) के अन्तर्गत क्रियान्वित किया जाना है। शुरुआत में इस बावत भवन निर्माण का कार्य पक्की संरचना प्रस्तावित था। तदोपरान्त स्थानीय निकायों द्वारा तय मापदण्डों के तहत निर्माण योजना की स्वीकृति में विलम्ब के कारण विभाग द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित भवन दो मंजिला (अर्ध पक्के संरचना) का बना दिया जाए; परिणाम स्वरुप निर्माण कार्य की अनुमानित लागत लोक निर्माण विभाग द्वारा 218 लाख से बढ़ाकर 294 लाख हो गई, इस कारण पुनः अनुमोदन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से अपेक्षित था। जिसकी स्वीकृति माह अक्टूबर 2012 में मंत्रालय से प्राप्त हो गई है। प्रशिक्षण एवं तकनीकी विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा लोक निर्माण विभाग को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है एवं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय से वित्तीय अनुमति प्रतीक्षित है। कार्य का प्रारंभ मंत्रालय (केन्द्रीय सरकार) द्वारा वित्तीय अनुमति प्राप्त होने एवं अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा निधि विमोचन होने के पश्चात लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सरकार द्वारा किया जाएगा।

(ड़) जी हां।

(च) उपरोक्त ''घ'' के अनुसार।

83. श्री जयभगवान अग्रवालः क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि डीटीयू एक्ट की धारा-53 के अन्तर्गत माननीय उपराज्यपाल जी ने दिनांक 23.10.2012 को विभागाध्यक्ष की बाहली हेतु आदेश दिया था, यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है;

(ख) क्या डीटीयू के कुलपति ने इस आदेश को लागू कर दिया है, यदि नहीं तो क्या यह एक्ट की अवमानना नहीं है, और आदेश लागू न करने पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) शिक्षकों की पदोन्नती एवं प्रबंधन में भागीदारी हेतु डीटीयू के कलपति ने तकनीकी शिक्षा विभाग के किन-किन निर्देशों का पालन नहीं किया है, क्या इस संदर्भ में दिल्ली सरकार कुलपति के खिलाफ कोई कार्यवाही कर रही है?

स्वास्थ्य मंत्री जी:

(क) जी हां, इस संदर्भ में माननीय उपराज्यपाल जी को स्पष्टीकरण देते हुए, कुलपति द्वारा पुनर्विचार हेतु अनुरोध किया गया है।

(ख) उपरोक्तानुसार।

(ग) शिक्षकों की पदोन्नती के संबंध में तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त आदेशों को पालन किया जा चुका है प्रभावी तिथि के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण हेतु कार्यवाही शीघ्र कर दी जाएगी।

84. श्री भरत सिंह: क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नजफगढ़ में पिछले चार साल में कितनी योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं व कौन-कौन से संस्थान नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र में खोले गए हैं,

(ख) क्या यह सत्य है कि रोशनपुरा में उच्च शिक्षा के लिए भूमि अधिगृहित की गई थी लेकिन उस जमीन पर अभी तक कोई योजना स्वीकृत नहीं हुई हैं, और

(ग) यदि हां, तो यह योजना कब तक स्वीकृत हो जाएगी, और

(घ) क्या नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र के लिए कोई योजना विचाराधीन है, यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है।

स्वास्थ्य मंत्री जी:

(क) पिछले चार वर्षो में नजफगढ़ क्षेत्र में उच्च शिक्षा विभाग दिल्ली सरकार द्वारा कोई योजना क्रियान्वित नहीं की गई है। परंतु यहां यह उल्लेख करना उचित है कि भगिनी निवेदिता महाविधालय की नई इमारत कैर (नजफगढ़ के समीप) में प्रस्तावित है।

(ख) जी नहीं।

(ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

(घ) उपरोक्त (क) के अनुसार।

85. श्री सतप्रकाश राणा: क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) दिल्ली विश्वविधालय में वर्तमान में कुल कितने विद्यार्थी हैं और इनमें कुल कितनी सीटें ओ.बी.सी. विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं और कुल कितने ओ बी सी विद्यार्थी हैं,

(ख) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली के जाटों को भी दिल्ली विश्वविद्यालय में ओ. बी.सी कोटे में दाखिल किया जा रहा हैं,

(ग) यदि नहीं, तो क्यों, और

(घ) दिल्ली विश्वविद्यालय में कॉलेज अनुसार या विभागानुसार कुल कितने शिक्षकों की कमी है और इस सभी को कब तक पूरा किया जाएगा और इनमें ओ.बी.सी. कोटे की कुल कितनी नियुक्तियां की आयेंगी।

स्वास्थ्य मंत्री जी:

(क से घ तक) दिल्ली विश्वविद्यालय से सूचना मांगी गई है।

86. श्री अरविन्द सिंह: क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि देवली विधानसभा में कोई कॉलेज नहीं है,

(ख) क्या यह भी सत्य है कि सरकार द्वारा देवली विधान सभा में कोई कॉलेज खोलने की योजना बना रही है,

(ग) यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं तो इसके क्या कारण है, और

(घ) देवली विधानसभा की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए कब तक सरकार यहां पर कॉलेज खोल देगी।

स्वास्थ्य मंत्री जी:

(क)1. दिल्ली सरकार द्वारा संचालित कोई भी महाविधालय देवली विधानसभा क्षेत्र में नहीं है।

2. इस संदर्भ में दिल्ली विश्वविद्यालय से भी सूचना मांगी गई है।

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

(घ) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

87. श्री ओ.पी.बब्बरः क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि व्यवसायिक कोर्स के उत्थान एवं सीटों की कमी को दूर करने के लिए सरकारी उच्चतम माध्यमिक विद्यालयों एवं प्राईवेट स्कूलों में बी.एड, एम.बी.ए., बी.बी.ए., बी.बी.एड, अन्य व्यवसायिक कोर्स की सायंकालीन कक्षाएं चलाने को कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक शुरु कर दिया जाएगा एवं इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्री जीः

(क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

(ख) उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।

88. श्री कुलवंत राणाः क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) दिल्ली में दिल्ली सरकार व दिल्ली विश्वविद्यालय के कुल कितने महाविद्यालय हैं,

(ख) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा संचालित महाविद्यालयों की संख्या कितनी हैं और वह कहाँ-कहाँ स्थित है,

(ग) दिल्ली सरकार द्वारा संचालित महाविद्यालयों की संख्या कितनी है और वह कहां-कहां स्थित है,

(घ) क्या यह सत्य है कि दिल्ली में जनसंख्या के अनुपात में महाविद्यालयों की संख्या बहुत कम है और इसको देखते हुए दिल्ली सरकार एक भी महाविद्यालय नहीं खोल पाई,

(ड) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली की रोहिणी एक बहुत बड़ी आवासीय कॉलोनी है और इतनी बड़ी आबादी वाली कॉलोनी में एक भी कॉलेज नहीं है,

(च) क्या यह भी सत्य है कि पिछले 14 वर्षा से रोहिणी के निवासियों को प्रति उच्च शिक्षा के संबंध में दिल्ली सरकार व उच्च शिक्षा विभाग गंभीर नहीं है,

(छ) क्या यह भी सत्य है कि दिल्ली सरकार व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण से महाविद्यालयों के लिए भू-खण्ड प्राप्त किए हैं, यदि हां, तो वह कहां-कहां पर स्थित हैं और उनका क्षेत्रफल क्या हैं, और

(ज) दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण से प्राप्त भू-खण्डों पर महाविद्यालय न खोलने के क्या कारण हैं और उच्च शिक्षा विभाग इस संबंध में क्या कदम उठा रहा है, पूर्ण विवरण दें।

स्वास्थ्य मंत्री जीः

(क) दिल्ली में दिल्ली सरकार के 100 प्रतिशत अनुदान प्राप्त महाविद्यालयों की संख्या 12 है। शेष के बारें में सूचना दिल्ली विश्वविद्यालय से मांगी गई है।

(ख) इस संबंध में सूचना दिल्ली विश्वविधालय से मांगी गई है।

(ग) इस संदर्भ में सूचना परिशिष्ट (क) पर संलग्न है।

(घ) दिल्ली सरकार ने गत वर्षो में तीन नये विश्वविद्यालय खोले हैं। जिनके नाम इस प्रकार है;

(1) गुरु गोविन्द सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय

(2) भारत रत्न डा. भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय

(3) राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय

(ड़) दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में 02 महाविद्यालयों की नई इमारतें प्रस्तावित है और भारत रत्न डा. भीम राव अम्बेडकर विश्वविद्यालय की नई ईमारत बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(च) जी नहीं।

(छ एवं ज) दिल्ली सरकार/उच्च शिक्षा निदेशालय को दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा जिन भूखंडों का आवंटन किया गया है, उनकी विवरण सूची परिशिष्ट (ख) पर संलग्न है।

89. श्री भरत सिंहः क्या शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि

(क) नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कितने आंगनवाड़ी केन्द्र चल रहे हैं?

(ख) पिछले चार सालों में कितने नए आंगनवाड़ी केन्द्र खोले गए?

(ग) इस क्षेत्र में नए ऑगनवाडी केन्द्र खोलने की कोई योजना विचारधीन है?

(घ) यदि हां, तो कब तक, पूर्ण विवरण दें?

शिक्षा मंत्री जी:

(क) नजफगढ़ विधानसभा क्षेत्र में 3 परियोजनाओं के अंर्तगत 131 आंगनवाड़ी केन्द्र चल रहे हैं।

(ख) पिछले चार सालों में 61 नए आंगनवाड़ी केन्द्र खोले गए।

(ग) यदि किसी क्षेत्र में आंगनवाड़ी की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हौ तो उस क्षेत्र में आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने पर विचार किया जा सकता है।

90. सतप्रकाश राणा: क्या समाज कल्याण मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि

(क) दिल्ली में वर्तमान में लाड़ली योजना के अंतर्गत कुल कितने आवेदन प्राप्त हो चुके हैं,

(ख) बिजवासन विधानसभा क्षेत्र में लाड़ली योजना के अंतर्गत कुल कितने आवेदन विभाग के पास जमा हुए हैं नाम व पते सहित पूरी जानकारी क्या है, और

(ग) बिजवासन विधानसभा क्षेत्र में कुल कितनी लड़कियों को 18 वर्ष की आयू पूरी होने के बाद पैसे मिल चुके हैं या दिए जाने हैं, नाम, पता व राशि सहित पूरी जानकारी क्या है?

समाज कल्याण मंत्री जी:

(क) दिल्ली में वर्तमान में लाड़ली योजना के अंतर्गत लगभग पांच लाख बीस हजार आवेदन प्राप्त हो चुके हैं।

(ख) लाड़ली योजना के अंतर्गत आंकड़े जिला स्तर पर रखे जाते हैं 1 विधानसभा क्षेत्र के अनुसार नहीं रखे जाते। विजवासन विधान सभा क्षेत्र दक्षिण-पश्चिम जिला के अंतर्गत आता है। उस जिले में 2012-13 में कुल 9100 फार्म जमा हुए हैं।

(ग) जिला दक्षिण-पश्चिम में वर्ष 2011-12 में 1076 बालिकाओं को 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर पैसे मिल चुके हैं।

91. श्री ओ.पी. बब्बरः क्या समाज कल्याण मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि

(क) क्या यह सत्य है कि मुद्रा स्फिति के कारण विधवाओं एवं बेसहारा महिलाओं को दी जाने वाली पेंशन की क्रय क्षमता में कमी हो गई है,

(ख) क्या बेसहारा/विधवा महिलाओं को दी जाने वाली इस पेंशन को दिल्ली के मूल्य सूचकांक जो कि शिमला स्थित ब्यूरों द्वारा तैयार किया जाता है, से जोड़ने का कोई प्रस्ताव है

(ग) क्या यह भी सत्य है कि बेसहारा/विधवा महिलाओं को मासिक पेंशन एवं विधवाओं की बेटी की शादी के समय वितीय सहायता प्रदान की जाती है परंतु बेसहारा महिलाओं की बेटी की शादी के लिए कोई वितीय सहायता नहीं दी जाती, और

(घ) क्या बेसहारा महिलाओं की बेटी की शादी के लिए वितीय सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है?

समाज कल्याण मंत्री जी:

(क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग एवं घ) सरकार ने 01.04.2012 से बेसहारा महिलाओं की बेटी की शादी के लिए भी 300000 रुपए की वितीय सहायता देने का प्रावधान कर दिया है।

92. श्री साहब सिंह चौहान: क्या समाज कल्याण मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि

(क) दिल्ली में सरकार के द्वारा महिला एवं बाल संबंधी क्या-क्या योजना चलाई जा रही है,

(ख) उक्त प्रत्येक योजना में क्या-क्या सुविधाएं हैं तथा प्रत्येक योजना की औपचारिकताएं क्या हैं,

(ग) पिछले 10 वर्षो में अब तक प्रत्येक वर्ष, प्रत्येक योजना में कितने-कितने धन की व्यवस्था व मांग की गई तथा खर्च कितना-कितना हुआ, उसका ब्यौरा क्या हैं, और

(घ) उक्त योजनाओं को प्रमोट करने के लिए सरकार ने क्या-क्या प्रयास किए हैं व कर रही है?

समाज कल्याण मंत्री जी:

(क) दिल्ली में महिलाओं के कल्याण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा

निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही हैं:-

1. विधवा एवं निराश्रित महिलाओं के लिए 1500/-रु. प्रतिमाह पेंशन योजना।
2. विधवा महिलाओं की पुत्रियों तथा अनाथ कन्याओं की शादी के लिए 30000 रुपये एक मुफ्त राशि देने की योजना।
3. लाड़ली योजना।
4. प्रियदर्शनी कामकाजी महिला हॉस्टल, विशवास नगर, दिल्ली।
5. महिला कार्य केन्द्र।
6. घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं के लिए महिलाओं की ''घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम-2005'' राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली अतंर्गत 17 संरक्षण अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नियुक्त किए गए हैं।
7. दहेज निरोधक कार्यक्रम के अंतर्गत सभी जिला समाज कल्याण अधिकारियों को दहेज प्रतिषेध अधिकारी नामित किया गया है।
8. दिल्ली महिला आयोग दूसरी मंजिल, सी ब्लॉक, विकास भवन, नई दिल्ली।
9. निराश्रित गर्भवती महिलाओं के लिए आश्रम गृह।
10. इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना।
11. आवाज उठाओं। इन योजनाओं के अतिरिक्त दिल्ली सरकार द्वारा महिलाओं के लिए निम्नलिखित गृह चलाए जा रहे हैं।

1. निर्मल छाया, निर्मल छाया परिसर, जेल रोड़, नई दिल्ली।

2. अल्पावास सदन, निर्मल छाया परिसर, जेल रोड, नई दिल्ली।

3. महिला आश्रम, निर्मल छाया परिसर, जेल रोड़ नई दिल्ली।

4. अभय महिला आश्रम, निर्मल छाया परिसर, जेल रोड़, नई दिल्ली। बाल कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही हैं:-

1. महिलाएवं बाल विकास विभाग द्वारा 21 बालगृह चलाए जा रहे हैं।

2. 41 बालगृह एवं 15 ओपन सेंटर होम स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं।

3. महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 7 बाल कल्याण समितियां चलाई जा रही हैं।

4. समेकित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत 94 परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके अंतर्गत 10615 आंगनबाड़ी केन्द्र चलाए जा रहे हैं।

(ख) औपचारिकताएं एवं सुविधाएं योजना अनुसार पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(घ) विभागीय योजनाओं को प्रमोट करने के लिए विभाग द्वारा विभिन्न माध्यमों से प्रचार एवं प्रसार किया जाता है।

93. श्री प्रहलाद सिंह साहनी: क्या समाज कल्याण मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि

(क) क्या यह सत्य है कि अविवाहित महिलाएं जिनकी उम्र तकरीबन पैन्तीस से चालीस साल हो गई है, और उनकी शादी नहीं हो पाई, क्या दिल्ली सरकार ने ऐसी अविवाहित महिलाओं को पेंशन देने के लिए कोई योजना बनाई है,

(ख) यदि हां, तो इसके लिए क्या-क्या आवश्यक दस्तावेज चाहिए, इसकी जानकारी दी जाए, और

(ग) ऐसी किसी अविवाहित महिला के पिता की मृत्यु हो गई हो, और अविवाहित महिला की माता जीवित हो, तो क्या उसको भी पेंशन देने का प्रावधान है?

समाज कल्याण मंत्री जी:

(क) जी, नहीं।

(ख) उपरोक्त के अनुसार।

(ग) जी, नहीं।

94. श्री ओ.पी बब्बर: क्या उद्योग मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सत्य है कि डी एस आई डी सी शैड, तिलक विहार की सीवर/ड्रेनेज प्रणाली बिल्कुल चरमरा/ध्वस्त हो चुकी है,

(ख) क्या यह भी सत्य है कि वर्षा के दिनों में आंतरित सीवर/ड्रेनेज प्रणाली पूरी तरह ठप्प पड़ जाती है, जिससे शेडस के मालिकों/ उपभोक्ताओं को अत्यधिक असुविधा का सामना करना पड़ता है, और

(ग) शेड धारकों को तुरंत राहत पहुंचाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उद्योग मंत्री जी:

(क) यह सत्य नहीं है कि सीवर एवं ड्रेनेज प्रणाली चरमरा/ध्वस्थ हो चुकी है। कभी-कभार सीवर/ड्रेनेज के बहाव में रुकावट आती है। जिसको ठीक करवाने की जिम्मेदारी शेड धारकों/अलॉटी एसोसिएशन की है।

(ख) उपरोक्त अनुसार। वर्षा के दिनों में सीवर जो कि ड्रेन से जुड़े नहीं होते, में कोई असर नहीं होना चाहिए। ड्रेन बारिश के दिनों में भर सकते हैं जब एम.सी.डी. की मुख्य ड्रेन में रुकावट आती है।

(ग) ये शेड out right sale basis पर आवंटिल किये गये थे, जिसमें रिपेयर व रख-रखाव की जिम्मेदारी अलॉटी वैलफेयर एसोसिएशन या शेड धारकों की है।

95. श्री साहब सिंह चौहानः क्या शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगी कि

(क) दिल्ली की अधिकृत प्रथम भाषा क्या है;

(ख) दिल्ली की द्वितीय-तृतीय एवं अन्य अधिकृत कौन-कौन सी भाषाएं हैं;

(ग) विभिन्न भाषाओं की अकादमियों कौन-कौन सी है तथा उनके कार्य, उद्देश्य व लक्ष्य क्या है;

(घ) विभिन्न अकादमियों का प्रत्येक वर्षानुसार पिछले 10 वर्षो में कितना-कितना बजट रखा गया गया, खर्च हुआ,

(ड) विभिन्न अकादमियों द्वारा उक्त वर्षो में किये गये कवि सम्मलनों का ब्यौरा क्या है; और

(च) क्या उक्त कार्य में विधायकों की कोई भूमिका हैं?

शिक्षा मंत्री जीः

(क) दिल्ली की अधिकृत भाषा हिन्दी है।

(ख) दिल्ली की दूसरी अधिकृत भाषा का दर्जा उर्दू व पंजाबी को प्राप्त है।

(ग) विभिन्न भाषाओं की अकादमियों हिन्दी, उर्दू पंजाबी, सिंधी, संस्कृत एवं मैथिली-भोजपुरी हैं। इनके कार्य, उद्देश्य व लक्ष्य संबंधित भाषाओं का प्रचार-प्रसार करना है।

(घ) प्रति संलग्न पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ड) प्रति संलग्न पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(च) उक्त कार्य में विधायकों को अतिथि के रुप में आमंत्रित किया जाता है। माननीय विधायक, शैक्षिक संस्थान इत्यादि के अनुरोध पर भी कार्यक्रम किये जाते हैं।

96. श्री अरविन्दर सिंहः क्या स्वास्थ्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) दिल्ली में त्यौहार को मध्यनजर रखते हुए खाद्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा विभिन्न प्रतिष्ठानों से कितने सैम्पल लिये गये?

(ख) इनमें से कितने सैम्पलों में मिलावट पाई गयी एवं दोषी पाये गये प्रतिष्ठानों के विरुद्ध विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गयी, उसका विस्तृत ब्यौरा क्या है?

(ग) क्या विभाग द्वारा दूध, खोया, पनीर आदि के भी नमूने उठाये गये हैं, यदि हां, तो कहां-कहां से एवं कितने नमूने सही पाये गये और

(घ) देवली विधान सभा क्षेत्र में कितने सैम्पलों में मिलावट पाई गयी एवं कितने विक्रेताओं के विरुद्ध कार्यवाही की गयी पूर्ण ब्यौरा उपलब्ध करवाने का कष्ट करें?

स्वास्थ्य मंत्री जीः

(क) दिल्ली में त्यौहार को दृष्टि में रखते हुए खाद्य एवं सुरक्षा विभाग ने 1/10/2012 से 15/11/2012 तक विभिन्न प्रतिष्ठानों से कुल 451 सेम्पल लिए।

(ख) इनमें से 79 सैम्पलों में खाद्य सुरक्षा नियम और अधिनियम का उल्लधंन पाया गया। जिसकी सूची ''क'' संलग्न है। दोषी पाए गए प्रतिष्ठानों के विरुद्ध खाद्य सुरक्षा नियम और अधिनियम के अन्तर्गत विभागीय छानबीन के पूरा होने पर संबंधित न्यायालयों में मुकदमा दायर किया जाएगा।

(ग) जी हां। त्यौहार को दृष्टि में रखते हुए 1/10/2012 से 15/11/2012 तक विभाग ने दूध, खोया, पनीर आदि के 71 नमूने उठाए गए जिसकी सूची ''ख'' पुस्तकालय में उपलब्ध है। इनमें से 69 नमूने सही पाए गए।

(घ) देवली विधान सभा क्षेत्र से 1/10/2012 से 15/11/2012 तक विभाग द्वारा उठाए गए सैम्पलों में कोई मिलावट नहीं पायी गयी।

खण्ड-10 सत्र-12 / अंक-86 बुधवार 12 दिसम्बर, 2012 / मार्गशीर्ष 21, 1934 (शक)

दिल्ली विधान सभा
की
कार्यवाही

सत्यमेव जयते

चतुर्थ विधान सभा
दसवाँ सत्र

अधिकृत विवरण
(खण्ड-10 में अंक-73 से 80 तक सम्मिलित है)

दिल्ली विधान सभा सचिवालय
पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054

सम्पादक वर्ग
Editorial Board

पी.एन. मिश्रा
सचिव

P.N. MISHRA
Secretary

लाल मणी
उप-सचिव (सम्पादन)

LAL MANI
Deputy Secretary (Editing)

विषय सूची

सत्र-10 बुधवार, 12 दिसम्बर, 2012/ज्येष्ठ 16, 1934 (शक) अंक-80

क्र.सं.	*विषय*	*पृष्ठ संख्या*
1.	सदन में उपस्थित सदस्यों की सूची	1
2.	शोक संवेदना प्रस्ताव (पं. रविशंकर, प्रसिद्ध सितारवादक)	3
3.	चर्चा (दल्लूपुरा में दीवार गिरने से पाँच बच्चों की मृत्यु के संबंध में)	14
4.	नियम-280 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख	29
5.	समिति के प्रतिवेदनों पर सहमति 1. कार्य मंत्रणा समिति का बाहरवां प्रतिवेदन 2. गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों संबंधी समिति का बारहवां प्रतिवेदन	29
6.	समिति के प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण (सरकारी आश्वासन समिति का तीसरा प्रतिवेदन)	38
7.	सदन पटल पर प्रस्तुत किये गये कागजात	39
8.	विधेयक का पुरः स्थापन	41
9.	अल्पकालिक चर्चा 1. दिल्ली सरकार की सामाजिक क्षेत्र में उपलब्धियों एवं खाद्य सुरक्षा जैसे मामलों में सरकार की संवेदनशीलता एवं उसके कार्यान्वयन पर चर्चा 2. तीनों नगर निगमों पर व्यापक भ्रष्टाचार व लापरवाही के कारण डेंगू से हुई मौतों व अभी तक हुई मामलों में रोकथाम न होने पर।	43
9.	तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	89